खण्ड-284, अंक-10
मंगलवार, 2 आषाढ़, शक संवत् 1892
(23 जून, 1970 ई0)

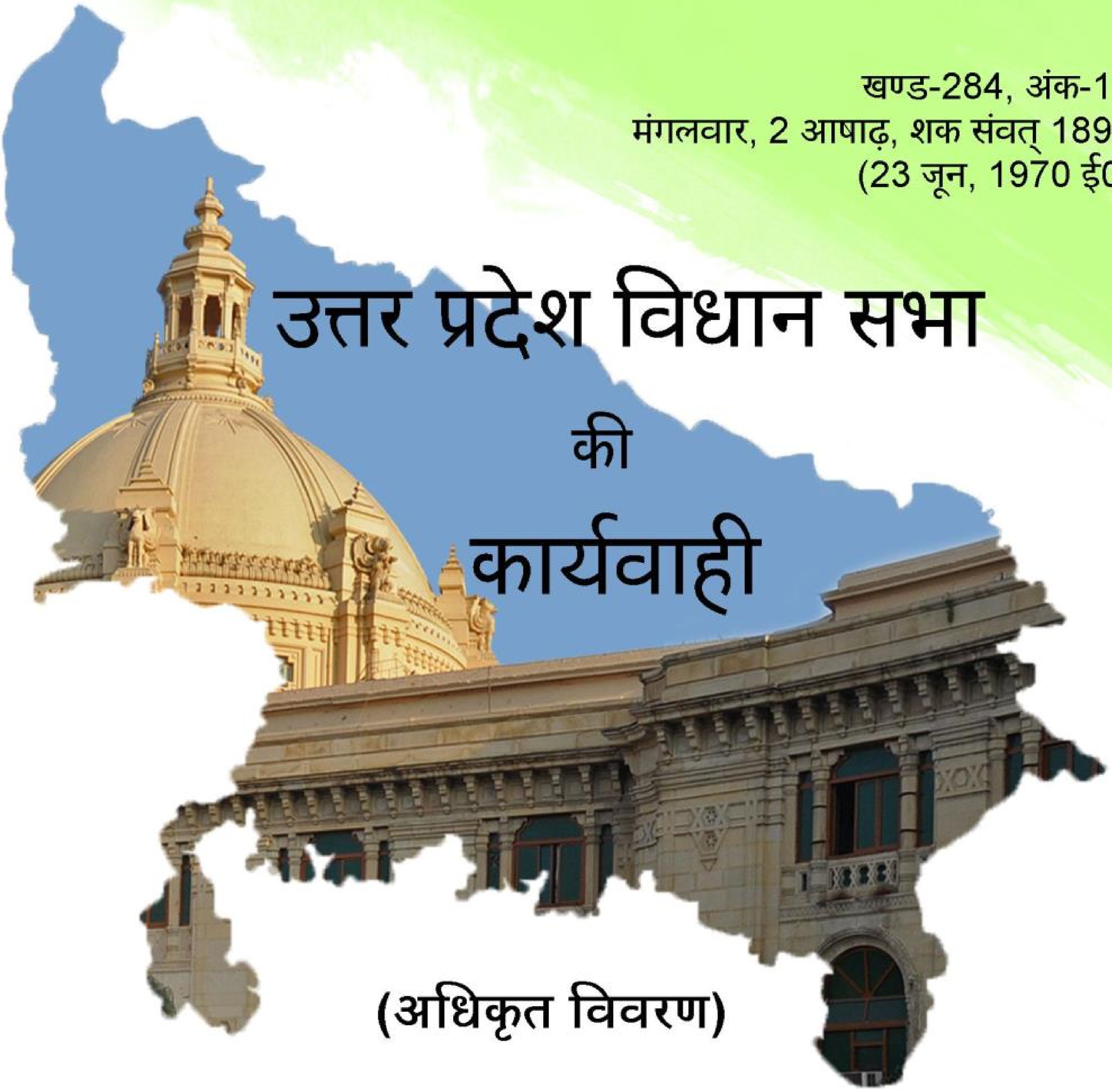

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११४१–११४५
प्रश्नोत्तर	११४५–११८३
भूतपूर्व सदस्य, श्री के० सी० पुरी के निधन पर शोकोद्गार	११८३–११८४
दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने की घटना (जारी)	११८४
प्रश्नों के समय के उपरान्त ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ लेने की मांग (जारी)	११८४–११८९
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का छठां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया)	११८९
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	११८९–११९०
यूनानी तथा आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों के सम्बन्ध में जानकारी ..	११९०
प्रश्नों के समय के उपरान्त ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ लेने की मांग (जारी)	११९०–११९५
दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने की घटना	११९५
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (जारी)	११९५–११९६
प्रश्नों के समय के उपरान्त ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ लेने की मांग (जारी)	११९६–१२०२
दर्शक दीर्घाओं में कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति पर आपत्ति ..	१२०२–१२०३
सदन से कुछ सदस्यों के निष्कासन सम्बन्धी आदेश के वापस लेने की मांग ..	१२०३–१२०८
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वीकृत	१२०८–१२०९
कटौती के प्रस्ताव लिये बिना अनुदानों पर मतदान कराने पर आपत्ति (जारी) .	१२०९–१२१०
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० (जारी) ..	१२१०
कटौती के प्रस्ताव लिये बिना अनुदानों पर मतदान कराने पर आपत्ति ..	१२११–१२१५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० विचारोपरान्त पारित ..	१२१५–१२१९
नत्थियां	१२२०–१२२६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
परमाई लाल, श्री
पारस नाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती

प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री

रामकिशोर शक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़,फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दरीफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालता शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालता, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री

शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरी सिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला कारागार, प्रतापगढ़ के उप-जेलर पर आक्रमण

**१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़). तथा श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या कारागार मंत्री जानकारी रखते हैं कि अभी हाल ही में प्रतापगढ़ जनपद के डिप्टी जेलर पर जेल के अन्दर ही गम्भीर आघात पहुंचाया गया और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो किन व्यक्तियों ने डिप्टी जेलर पर आक्रमण किया था और क्यों? कितने अभियुक्त गिरफ्तार और कितने फरार हैं? सरकार ने अभी तक मृतक डिप्टी जेलर के परिवार की राहत के लिये क्या कदम उठाया है?

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)--

यह सही नहीं है। जिला कारागार, प्रतापगढ़ के एक उप जेलर को जेल के बाहर उनके निवास स्थान पर आघात पहुंचाया गया किन्तु उनकी मृत्यु नहीं हुई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तीन जेल वार्डरों को गिरफ्तार किया गया तथा कोई अभियुक्त फरार नहीं है। चूंकि उप जेलर की मृत्यु नहीं हुई है इसलिए उनके परिवार को राहत देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदेव--

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जेल और डिप्टी जेलर के निवास स्थान में क्या दूरी है? क्या डिप्टी जेलर का निवास स्थान जेल से लगा हुआ नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे क्या प्रश्न का सम्बन्ध है ?

श्री रामदेव--

प्रतापगढ़ जेल से, डिप्टी जेलर जहां रहता है, कितनी दूरी है ...

श्री अध्यक्ष--

इससे प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ?

श्री रामदेव--

जो प्रश्नोत्तर है, उसमें यह है कि जेल में ऐसी घटना नहीं हुई तो यह जेल की बाउन्डरी में नहीं हुई थी, लेकिन बाउन्डरी के बाहर जहां पर डिप्टी जेलर रहते हैं वहां पर यह घटना घटी है, तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि ३ अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गये हैं उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री बिशनलाल--

अध्यक्ष जी, ३ आदमियों के नाम रिपोर्ट थी--एक का नाम छोटेलाल है। दो और हैं, उनके नाम मेरे पास नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामदेव--

डिप्टी जेलर के ऊपर किस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया गया ? और जो चोटें आई हैं उनकी किस्में क्या हैं ?

श्री बिशनलाल--

सूचना यह है कि रात को साढ़े ग्यारह बजे के करीब जब डिप्टी जेलर अपने मकान में सोये हुए थे, कुछ आदमी उनके मकान में आक्रमण करने घुस पड़े। उनमें से एक को उन्होंने पहचाना जिसका नाम बताया है। उनके एक सिर पर चोट आई है एक गाल पर चोट आई है और डंडे की चोट बाएं कंधे पर आई है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या कारण था कि जेल के अधिकारियों के मकान जेल की सीमा में अवस्थित होते हुए भी डिप्टी जेलर को मारा गया, क्या वहां पर कोई पहरे आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया था ? और जब वे उसके अन्दर रहते थे, तो ....

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल पूछिए, आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड---

मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जेल के कैदी ही वहां पर पहरेदारी करते हैं और उनके होते हुए उनको मारा गया यानी उन्हीं आदमियों में से कुछ ने उनको मारा तो क्या उनकी किसी से शत्रुता थी ?

श्री बिशनलाल---

हो सकता है कि आपस में कोई वैमनस्य हो, इस कारण मारा हो, लेकिन जेल में नहीं मारा गया है, क्वार्टर में जो जेल के बाहर है, वहां मारा गया है। आदमी अंदर कूद गये थे और उन्होंने मारा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डिप्टी जेलर साहब का क्या शुभ नाम है और कितने दिनों तक उन्होंने सेवा इस विभाग में की है ?

श्री बिशनलाल---

उनका नाम तो कंगालीराम है।

श्री राजितराम पाण्डेय---

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जेलर और डिप्टी जेलर में दुश्मनी थी, जिसकी वजह से वह मारा गया और उसमें छोटे कर्मचारियों को फांसा जा रहा है ?

श्री बिशनलाल---

यह तो मैं नहीं कह सकता। मैं स्वयं इस घटना को सुनकर प्रतापगढ़ गया था और इलाहाबाद में भी डेढ़ बजे तक टेलीफोन पर बैठा रहा और जब पता चल गया कि डिप्टी जेलर मरा नहीं है बच गया है, तो मुझे नींद आई। मैंने वहां पर जाकर जेलर और डिप्टी जेलर दोनों से बात की थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने मुझे पिटवाया। उन्होंने यह अवश्य कहा कि कुछ नाराजी तो जरूर थी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

जिसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है क्या वह जेलखाने में रह चुका है और उसकी जेलर से दोस्ती थी ?

श्री बिशनलाल---

ये तीनों आदमी जेल के नौकर हैं, जिनके नाम बताए गये हैं।

श्री रामदेव---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एफ० आई० आर० लाज की गई है, उसका आशय क्या है ?

श्री बिशनलाल---

वह तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह जरूर मालूम है कि एक नाम छोटेलाल का लिया गया है, दो नाम और बताए गये हैं। पुलिस ने जांच की और तीनों आदमियों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है।

बाल्मीकि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लखनऊ में हुये गबन के विरुद्ध भूख हड़ताल

**२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि गत एक सप्ताह से कुछ लोग विधान भवन के सामने सहकारिता विभाग में हुये ९१,९०० रुपये के गबन तथा सरकार द्वारा उचित कार्यवाही न होने के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

सहकारिता राज्य मंत्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)—

माननीय सदस्य का आशय बाल्मीकि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इरादतनगर, लखनऊ में ८१,९०० रुपये के कथित गबन से प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में समिति के कुछ सदस्यों ने विधान भवन के सामने कुछ समय पूर्व भूख हड़ताल की थी। उनकी मांग यह है कि "मामले को प्राजिक्यूशन के लिये प्राजिक्यूशन अथार्टी को भेजा जाये और सख्त कार्यवाही कर मुकदमा चलाया जाए।"

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी ने बताया है कि ८१ या ९१ हजार रुपया कथित गबन से सम्बन्धित है तो क्या मंत्री जी इसकी जांच स्पेशन आडिट द्वारा कराएंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

जी हां, आडिट जांच करने के लिए भी कह दिया गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या यहां प्राइमाफेशी कोई गबन है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

जब तक इंक्वायरी कम्पलीट नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

बाल्मीकी हाउसिंग सोसाइटी को क्वार्टर्स बनाने के लिए जो अनुदान दिया गया था, उसके यूटीलाइजेशन सार्टीफिकेट्स विभाग को प्राप्त हो गये हैं या नहीं ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता—

यूटीलाइजेशन सार्टीफिकेट कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

मंत्री जी ने पिछले दिनो कहा था एक प्रश्न के उत्तर में कि अधिकारियों की रिपोर्ट से गबन साबित होता है, तो क्या मंत्री जी अब तक इस बात की जानकारी कर पाए हैं कि तीन वर्षों में उस सोसाइटी का आडिट किया गया है, यदि हां, तो क्या उसमें कहीं गबन का जिक्र किया गया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

पहले ही बता दिया है कि कह दिया है कि आडिट किया जाए, उसके लिए आर्डर्स दे दिए गए हैं।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि भ्रष्टाचार के कारण सहकारिता विभाग जर्जर हो गया है और उन्होंने अपने चुनाव अभियान, चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह घोषणा की है कि वह सहकारिता विभाग को इस वजह से समाप्त कर देंगे, तो क्या सहकारिता मंत्री जी अब भी इस बात से सहमत हैं और उस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार कर रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री महरम सिंह--

हमने पूछा था कि क्या तीन वर्षों में सोसाइटी का आडिट हुआ है या नहीं, मंत्री जी ने कहा कि आडिट के लिए आदेश दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आडिट तीन वर्षों में वर्ष प्रति वर्ष नहीं हुआ है और सोसाइटी को कितना रुपया अनुदान का दिया गया, यह उस दिन भी जानकारी चाहता था और आज भी चाहता हूं ?

श्री प्रकाश नारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले बताया जा चुका है कि आडिट अब तक नहीं हुआ लेकिन जो रुपया दिया गया है १९६४-६५ में ५३ लाख १ सौ, १९६५-६६ में ३८ लाख ७ सौ, और १९६६-६७ में ४५ लाख, इस प्रकार १ लाख ३६ हजार ८ सौ रुपया हरिजन विभाग सेंट्रल ने दिया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या १९६४-६५ से आडिट अब तक नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने साफ कहा है, नहीं हुआ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

जांच जो हो रही है वह विभाग द्वारा या सतर्कता आयोग द्वारा हो रही है ? अगर विभाग द्वारा हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इस गबन को प्रकाश में लाने के लिए सतर्कता आयोग को सुपुर्द करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

विभागीय जांच अभी हो रही है। यह भी आज्ञा हुई है कि विभागीय जांच करके एफ० आई० आर० लाज कर दिया जाय।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५७ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ तथा अन्य शहरों में नंगे पुरुष तथा स्त्रियों का घूमना

*१---श्री वंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा अन्य शहरों के अन्दर नंगे लोग (स्त्री व पुरुष) घूमते हैं जिनका कि प्रभाव छोटे-छोटे बच्चों तथा सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये कोई योजना बनाई है कि इनको शहरों से अलग कर आगरे के पागलखाने में रखने की व्यवस्था की जा सके ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

मंत्री जी ने यह कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है। पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि यह स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है या सामान्य प्रशासन विभाग से ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जब उत्तर दिया तो स्पष्ट है कि उनके विभाग से सम्बन्धित होगा।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

शहरों के अन्दर जो तमाम आदमी और औरतें नंगे घूमते हैं इससे बच्चों पर खराब असर पड़ता है या नहीं ?

श्री धर्मदत्त—

दोनों विभागों से सम्बन्धित है। जहां तक लोगों के नंगे फिरने का सवाल है, उसकी गणना करेंगे, ९ करोड़ के प्रदेश में , कितने, किस शहर में हैं, इसमें समय लगेगा। सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री रियायसत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह कहां है इसमें ?

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, संख्या नहीं पूछी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल वह पूछ रहे हैं।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

जो नंगे औरतें और पुरुष घूमते हैं, इससे बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है या खराब ? सिर्फ यह सवाल है । यह नहीं पूछा गया है कि कहां हैं।

श्री धर्मदत्त—

निस्संदेह अच्छा नहीं पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न में सूचना का सम्बन्ध ही नहीं है। सिर्फ यह है कि समस्या के बारे में क्या विचार हो रहा है। इस पर मंत्री जी बताएं कि इस समस्या के बारे में कुछ विचार हो रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल पूछिए क्या सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह—

इस सम्बन्ध में कौन-सी सूचना एकत्र कर रहे हैं ?

श्री धर्मदत्त ---

पहले तो जानकारी प्राप्त की जायगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो नंगे फिरते हैं और फिर उस पर क्या कार्यवाही की जाय यह तो बाद का विषय है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को मानते हुए कि इन लोगों का शहर में घूमना अनैतिक है सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार करते हुए इन लोगों का नंगा घूमना सरकार बन्द कर देगी? इनको किसी रेस्ट रूम अथवा पागल खाने में भर्ती करेगी?

श्री धर्मदत्त---

इस पर विचार किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन---

मंत्री जी सूचना सेन्सस के द्वारा एकत्रित कर रहे हैं या अपने शफाखानों को लिखा है कि वे नंगे घूमने वालों की संख्या को लिख भेजें?

श्री धर्मदत्त---

लखनऊ से सम्बन्धित है इसलिये पहले लखनऊ के सम्बन्ध में जानकारी की जायगी।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में विद्यार्थियों का प्रवेश

*२---श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में आगामी सत्र से विद्यार्थियों का प्रवेश करने का आदेश दे दिया गया है कि जिस प्रकार झांसी मेडिकल कालेज के विद्यार्थी मेरठ में पढ़ते हैं उसी प्रकार गोरखपुर मेडिकल कालेज के भी किसी दूसरे स्थान पर पढ़ाने की व्यवस्था की गई है यदि हां, तो आदेश क्या हैं? यदि नहीं, तो आदेश जारी करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री धर्मदत्त---

जी नहीं। चूंकि गोरखपुर मेडिकल कालेज के निर्माण में समय लगेगा और अन्य मेडिकल कालेजों में गोरखपुर मेडिकल कालेज के छात्रों के प्रवेश की गुंजाइश नहीं है, अतः उनको दूसरे मेडिकल कालेजों में पढ़ाने की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह---

सरकार ने दो मेडिकल कालेज झांसी तथा गोरखपुर की एक साथ खोलने की घोषणा की थी, यदि हां, तो उसने कितने विद्यार्थियों को दोनों मेडिकल कालेजों में अलग-अलग भरती करना निश्चित किया है?

श्री धर्मदत्त---

दोनों कालेजों का खोलना योजना के अन्तर्गत निश्चित किया गया था और उसके अनुसार ५०, ५० विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था दोनों मेडिकल कालेजों में की गयी थी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या यह सही है कि झांसी मेडिकल कालेज के लिये भर्ती पहले से शुरू हो गयी है और उनके पढ़ने की व्यवस्था मेरठ मेडिकल कालेज में की गयी है उसी प्रकार गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिये भर्ती शुरू कर दी जायगी और उसके विद्यार्थियों की पढ़ाई दूसरे किसी मेडिकल कालेज में कर दी जायगी?

श्री धर्मदत्त—

झांसी मेडिकल कालेज का निर्माण पहले प्रारम्भ हो चुका था और यह संभावना थी कि १९७० से वहां कार्य प्रारम्भ हो जायगा, इस कारण वहां के विद्यार्थियों को मेरठ कालेज में भरती करने की आज्ञा दे दी गयी लेकिन गोरखपुर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य १९७२ में सम्पन्न होगा इसलिये वहां के छात्रों को दूसरे मेडिकल कालेजों में पढ़ाने की व्यवस्था अभी नहीं की जा सकती।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर मेडिकल कालेज की इमारत के पूरा होने की उम्मीद कब तक है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतलाया कि १९७२ तक पूरी होने की आशा है।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

गोरखपुर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य अगर इस वर्ष पूरा हो जाने की संभावना हो तो झांसी मेडिकल कालेज की भांति क्या गोरखपुर मेडिकल कालेज के छात्रों को स्वास्थ्य मंत्री किसी अन्य मेडिकल कालेज में पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य १९७२ तक चलेगा, इस बीच उसके छात्रों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि जितना खर्च या एडमिशन की दूसरी सुविधा मेरठ कालेज में प्राप्त थी वह लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी आदि मेडिकल कालेजों में भी है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, आप मंत्री जी का उत्तर देख लें कि उन्होंने क्या कहा है कि अन्य मेडिकल कालेजों में गोरखपुर मेडिकल कालेज के छात्रों के लिये कोई गुंजाइश नहीं है .....

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, प्रैक्टिकल के लिये रोगि-शैय्याओं की संख्या समुचित नहीं है इसलिए अन्य कालेजेज के छात्रों का प्रवेश नहीं लिया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप हमें इजाजत दें तो मैं बताऊं कि यह सरकार किस प्रकार गड़बड़ करने पर उतारू हो गई है। मैं इसका परदा-फाश करूंगा।

कानपुर में बनस्पति घी के डिब्बे में गोबर मिलने की शिकायत

*३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि कानपुर में दिनांक १६/१७ मई, १९७० को एक उपभोक्ता को बनस्पति घी (डालडा) में घी के बजाय सील बन्द डालडा के डिब्बे में गोबर

बेचा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के धोखे के हो रहे व्यापार की जांच करायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

जी नहीं। १६/१७ मई, १९७० को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह समाचार समाचार-पत्रों में छपा है कि यह घटना घटी है तो क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि यह घटना नहीं घटी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में तो अनेकों चीजें निकलती रहती हैं। जिन तारीखों को इस घटना का आपने प्रश्न किया है इन तारीखों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आस-पास की तारीखों में किन तारीखों को ऐसी घटना घटी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, ८ मई को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई कि बस्तीराम जो वनस्पति के विक्रेता हैं उनके यहां श्री भागमल ने ७ मई को ७ बजे शाम को चार किलो का टिन लिया और उसे लेकर जब वह घर पहुंचा और उसे खोला गया तो उसमें गोबर भरा हुआ मिला। यह सूचना मेरे पास आई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १७-१८ मई न सही, ७-८ मई को ही सही, किन्तु एक सील बन्द डिब्बे में जो गोबर भरने की चेष्टा की गई तो यह उत्पादन की फैक्टरी से ही ऐसा आया था या विक्रेता ने उसे मिलाया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इसकी जांच की गई किन्तु यह पता नहीं लग पाया कि यह गल्ती कहां पर हुई और किसने की है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस व्यक्ति ने यह शिकायत की क्या उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह रिपोर्ट तो टाउन राशनिंग आफीसर को की गयी थी और उन्होंने इसकी छानबीन की थी।

श्री रामकुमार शास्त्री ---

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि वह कौन सा अधिकारी था जिसने इस डिब्बे की जांच की ? उस डिब्बे में पूरा पूरा गोबर था कुछ डाला भी था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

सूचना यह है कि वह डिब्बा गोबर से भरा हुआ था।

श्री ईश्वरदयाल त्यागी---

क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने की सोच रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जिलाधीश कानपुर ने यह आदेश दे दिये हैं कि उपभोक्ता जिस समय दूकान से वनस्पति खरीदें वह देख लें कि उसमें सील है या नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

इस बात को देखते हुए डालडा की बिक्री के लिये डिकागनाइज्ड एजेन्टस हैं और यह बन्द डिब्बों में गोबर निकला तो फिर उस बेचने वाले और प्रोडयूसर को सजा देने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अगर आप नोटिस देंगे तो उसकी फिर से जांच करा ली जायगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस को सजा दी जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती राम की रिपोर्ट को आधार मान कर क्या सरकार डालडा विक्रेता और मैन्यूफेक्चरर के खिलाफ मुकदमा दायर करने का विचार कर रहे हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

पुनः जांच करने से यदि यह साबित हुआ कि इनमें से किसी का अपराध है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जो आप ने प्राथमिक जांच की उसमें किसका दोष पाया गया?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जांच करने से पता नहीं चला कि किसने अपराध किया, यह मेरे पास सूचना है।

*४---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्रतापगढ़ जिले के स्वास्थ्य सहायकों के वेतन का भुगतान न होना

*१---श्री रामदेव---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अनेक स्वास्थ्य सहायकों (Health Assistants) का एरियर १ अप्रैल, १९६५ ई० से ३१ अगस्त, १९६५ तक

एन्टीमलेरिया अफसर, मिर्जापुर कार्यालय में बाकी है और अनेक बार जिला परिवार नियोजन अधिकारी, प्रतापगढ़, एवं सहायक निदेशक, मलेरिया, उत्तर प्रदेश के लिखने के बावजूद भी एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और किन-किन स्वास्थ्य सहायकों का एरियर बाकी है ? क्या सरकार अविलम्ब उक्त भुगतान की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त—

ऐन्टी मलेरिया, आफिसर, मिर्जापुर के कार्यालय में केवल एक भूतपूर्व सर्वलेन्स इन्स-पेक्टर (जो इस समय जिला परिवार नियोजन कार्यालय, प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं) का दिनांक १-४-१९६५ से ३१-८-१९६५ तक का नये व पुराने वेतन मानों के अन्तर का ऐरियर बाकी है। ऐरियर वेतन बिल तैयार कर के महालेखाकार, इलाहाबाद को "प्रीआडिट" हेतु भेजा जा चुका है। जैसे ही बिल "प्रीआडिट" उपरान्त प्राप्त होगा, इनका भुगतान कर दिया जायगा। उक्त ऐरियर के शीघ्र भुगतान न होने के कारण यह हैं कि दिनांक ३१-८-१९६५ के अपराह्न से सम्बन्धित कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं। नये वेतन मान के शासकीय आदेश पारित होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी (श्री लल्लन सिंह) के एरियर की यथासमय जानकारी न हो सकी। श्री सिंह द्वारा शासकीय आदेशानुसार नये वेतन मान ग्रहण करने का वांछित "आप्शन फार्म" भी नहीं प्रेषित किया गया जिससे भी संदर्भित एरियर का पता नहीं चल सका था।

जिला परिवार नियोजन कार्यालय, प्रतापगढ़ में सर्वश्री कमलाराम कुशवाहा एवं राम चरन वर्मा का कुछ ऐरियर बाकी है जिसके शीघ्र भुगतान के लिये सम्बन्धित अधि-कारियों को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वेतन के एरियर का बिल कब तैयार करके महा-लेखाकार को इलाहाबाद आडिट के लिये भेजा गया था ? क्या यहां प्रश्न किये जाने के बाद भेजा गया ?

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, १९६९ में उन्होंने पत्र-व्यवहार किया और उसके तुरन्त ही बाद वेतन बिल महालेखाकार को भेज दिया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार की नोटिस में यह बात है कि मलेरिया विभाग से कुछ लोगों को जब सरप्लस कर के रिट्रेन्च कर दिया गया और फिर उनको हेल्थ डिपार्टमेन्ट के फेमिली प्लानिंग सेक्शन में पोस्ट किया गया ऐज हेल्थ असिस्टेंट तो उस पीरियड में उनकी सेवाओं के लिये एक जी० ओ० मार्च, १९६७ में निकाला गया ? यदि हां, तो क्या उस जी० ओ० का पालन न होने के नाते ही यह बकाया धनराशि पड़ी रही और इस तरह की बकाया पूरे प्रदेश भर में बाकी है ?

श्री धर्मदत्त—

प्रदेश भर में तो बाकी नहीं है लेकिन जब यह जी० ओ० निकला तो यह भी आदेश थे कि जो व्यक्ति हटाये जायं उन्हें शीघ्र दूसरे स्थानों पर लगा दिया जाय। कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर हैं कि जिनका कुछ अवकाश का और कुछ उन दिनों का वेतन नहीं दिया गया था और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण सारे कागजात नहीं प्राप्त हो सके इसलिये विलम्ब हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, साफ नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने २ मार्च, १९६७ को इस सम्बन्ध में कोई जी० ओ० जारी किया था? अगर हां, तो क्या उस जी० ओ० का पालन हेल्थ डिपार्टमेन्ट के फेमिली प्लानिंग सेक्शन में पूरी तरह हो रहा है या नहीं?

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी कि जी० ओ० किस तारीख में निकाला गया और उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है या नहीं। लेकिन सामान्यता तो जो जी० ओ० निकलता है उसका पालन तो किया ही जाता है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिल को बनाने में जो चार वर्ष का विलम्ब हुआ उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही सरकार कर रही है?

श्री धर्मदत्त—

कोई व्यक्ति जब एक जिले से दूसरे जिले में जाता है तो उसके कागजात एकत्र करने में कुछ समय लगता है और फिर उस की पत्रावली, चरित्र पंजिका वगैरह सब मंगाई जाती है। तो इतना समय कुछ अधिक तो नहीं हुआ। और जैसे ही जानकारी हुई कि इनका वेतन पड़ा हुआ है तो तुरन्त कार्यवाही की गई और महालेखाकार को भेज दिया गया।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मन्त्री चार वर्ष का समय चरित्र पंजिका मंगाने के लिये उचित समझते हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बताया कि उचित समझते हैं। तभी तो उत्तर दिया।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कमलाकान्त कुशवाहा एवं श्री रामचरन वर्मा, इनका बकाया किस प्रकार का है और कब तक इनको भुगतान कर दिया जायगा?

श्री धर्मदत्त—

श्री कमलाकान्त कुशवाहा, भूतपूर्व सर्वलेंस इन्सपेक्टर का १७ जून, १९६५ से २६ जून, १९६५ तक अवकाश पर रहने का वेतन बाकी है। यह इस समय झांसी में ऐंटी-मलेरिया आफिस में काम कर रहे हैं। इनका भी १ अप्रैल, १९६५ से ३१ जुलाई, १९६५ तक का नये पुराने वेतनमान का डिफरेंस बाकी है और श्री राम चरन वर्मा का २६ जून, १९६५ से ३० जून, १९६५ तक का अवकाश वेतन तथा १ अप्रैल, १९६५ से ३१ अगस्त, १९६५ तक का नये पुराने वेतनमान का डिफरेंस बाकी है। यह इस समय मुरादाबाद में ऐंटी-मलेरिया आफिस में कार्य कर रहे हैं।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लल्लन सिंह, स्वास्थ्य सहायक ने नये वेतनमान के पारित होने के बाद अनेक प्रार्थना-पत्र अपने अधिकारियों को दिये थे लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जब यहां प्रश्न किया गया तब सारी कार्यवाही हुई?

श्री धर्मदत्त--

शासन को तो इस प्रकार की जानकारी है नहीं कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये। अगर दिये होंगें तो उसकी जानकारी प्राप्त की जायगी।

सिविल सर्जन, मेरठ द्वारा जारी किये गये मेडिकल सर्टीफिकेट

*२--श्री मंजूर अहमद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, मेरठ ने १ अप्रैल, १९७० से १० अप्रैल, १९७० तक कितने मेडिकल सर्टीफिकेट जारी किये? क्या इनमें बलजीत नामी खजूरी निवासी कत्ल का मुलजिम भी था जो इस सर्टीफिकेट के आधार पर जमानत पर छोड़ दिया गया? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्री धर्म दत्त--

सिविल सर्जन, मेरठ ने १ अप्रैल, १९७० से १० अप्रैल, १९७० तक अट्ठारह मेडिकल सर्टीफिकेट जारी किये। सिविल सर्जन, मेरठ ने श्री बलजीत, निवासी खजूरी को कोई मेडिकल सर्टीफिकेट नहीं दिया।

श्री मंजूर अहमद--

यह सवाल का जवाब किस एजेंसी से आया है?

श्री धर्मदत्त--

हर विभाग एक एजेंसी है, हमने अपने विभाग के द्वारा इसकी जानकारी की है, उसके अतिरिक्त हमारे विभाग ने वहां के ए० डी० एम० (जे०) से भी जानकारी प्राप्त की है। इसलिये जो सूचना प्राप्त हुई है वह अपनी जगह पर सही है।

श्री मंजूर अहमद--

भूतपूर्व सिविल सर्जन मेरठ के बारे में शिकायत है कि उन्होंने गलत सर्टीफिकेट सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऐसे दिये और देते रहते थे और वह सरकार में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की भी शिकायतें हैं उनके विरुद्ध? अब तबादला हो गया उनका।

श्री धर्मदत्त--

इस वक्त के सिविल सर्जन के विरुद्ध हमारे पास कोई शिकायत नहीं है।

श्री मंजूर अहमद--

मुख्य मंत्री जी से जानकारी कर लें, क्योंकि यह बलजीत नाम का कत्ल का मुल्जिम है। ८-१० महीने पहले एक कत्ल हुआ था, उसमें ४-५ गरीब आदमी जेल में पड़े रहे और जेल नहीं जा पाया और बाहर पड़ा रहा। किसी अधिकारी ने गिरफ्तार नहीं किया। जब ऊपर से दबाव पड़ा तब इसको ए० डी० एम० (जे०) की अदालत से मेरी जानकारी को सही मान कर, छोड़ा गया डाक्टर के सर्टीफिकेट पर कि इसको दिल की बीमारी है, जेल में जाने के बाद इसकी हालत खराब हो जायगी और मर सकता है। इस प्रकार यह बलजीत ए० डी० एम० (जे०) की अदालत से छूटा है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

यह २३ मई, १९७० को हाई कोर्ट के आदेशों से छूटा है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंजूर अहमद का ऐलीगेशन है कि वह मेडिकल सार्टीफिकेट पर छूटा और मंत्री जी ने कहा कि बलजीत के नाम पर कोई मेडिकल सार्टीफिकेट नहीं इसलिये मंत्री जी क्या उस सार्टीफिकेट को जो ए० डी० एम० (जे०) या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में दाखिल है जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि मालूम हो सके कि यह किस डाक्टर द्वारा ईश्यू किया गया है ?

श्री अनवार अहमद---

मेरे पास जो सूचना है उसमें कोई भी सार्टीफिकेट ए० डी० एम० (जे०) या दूसरी अदालत में दाखिल नहीं है और न इस नाम के मुल्जिम को दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलजीत को किसी मेडिकल सर्टीफिकेट के आधार पर हाई कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा ? यदि हां, तो किसने वह सर्टीफिकेट दिया है ?

श्री अनवार अहमद---

सिविल सर्जन ने सर्टीफिकेट नहीं दिया है, बाकी मुझे जानकारी नहीं है कि किसने सर्टीफिकेट दिया है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि इस अवधि में बलजीत को किसी डाक्टर ने मेरठ के शफाखाने से सर्टीफिकेट जारी किया है ?

श्री अनवार अहमद--

इसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त की गई है । अगर माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी हो तो वह बतावें, जानकारी करा ली जायेगी ।

श्री मंजूर अहमद---

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बलजीत हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार छूटा । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह मेडिकल ग्राउन्ड पर छूटा है या नहीं ?

श्री अनवार अहमद---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी यह पता लगाने के लिये कि हाई कोर्ट ने क्या कार्यवाही की ।

[२३ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२---श्री जगदीश गांधी---

[१०वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत उत्तरित]

*३---श्री जगदीश गांधी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अलीगढ़ जिले में बिना रजिस्ट्रेशन तथा डिग्री के व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा करना

*४---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में कितने ऐसे एलोपैथी चिकित्सक हैं जो न रजिस्टर्ड हैं और नही उनके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री है, परन्तु

वह चिकित्सा कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनवार अहमद—

अलीगढ़ जिले से ऐसे केवल २ व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् को प्राप्त हुई थी पर जांच के बाद निराधार पाई गई ।

इनके अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भी १७ व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत अनधिकृत रूप से दवा रखने एवं बेचने के बारे में प्राप्त हुई थी जिनकी जांच की जा रही है ।

इलाहाबाद के तेलियरगंज स्थित टी० बी० अस्पताल में शय्याओं का बढ़ाना

*५—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के तेलियरगंज स्थित टी० बी० अस्पताल में इस वर्ष ५० बेड (शय्या) बढ़ाने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री धर्मदत्त—

चतुर्थ योजना काल में इस अस्पताल में ४८ अतिरिक्त शैय्याएं बढ़ाने का विचार है ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४८ शय्याएं इसी वर्ष बढ़ाई जायेंगी ?

श्री अनवार अहमद—

ये तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ाई जायेंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष कितनी शैय्याएं बढ़ाई जायेंगी और उसके लिये कितना धन रखा गया है ?

श्री अनवार अहमद—

जब शय्याएं बढ़ाई जायेंगी तो उसके लिये भवन की भी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आप कृपा कर सुन लें । क्या इस वर्ष कुछ शैय्याएं बढ़ाई जायेंगी और अगर बढ़ाई जायेंगी तो उसके लिये कितना धन रखा गया है ?

श्री अनवार अहमद—

शैय्याएं भी बढ़ेंगी और उसके लिये धन का भी प्राविधान किया गया है ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ये ४८ शय्याएं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बढ़ा दी जायेंगी ? यदि हां, तो क्या ये १२, १२ या १५, १५ प्रतिवर्ष बढ़ाई जायेंगी ?

श्री अनवार अहमद—

जैसे जैसे स्थान की व्यवस्था होती जायेगी वैसे वैसे शैय्याएं बढ़ाने की भी व्यवस्था की जायेगी ।

*६—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

पंचायत राज निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निदेशक, पंचायत राज ने दिनांक ३० जून, १९६८ को पत्र संख्या ४ / ५५८२ / ६८-४-४७-६४, जारी करके जो सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की सीनियारिटी निर्धारित की है क्या उसी के आधार पर बी० डी० ओ० के पद पर अस्थाई नियुक्तियां की जा रही है ?

कृषि उप मंत्री (श्री शिववक्ष सिंह राठौर)—

जी नहीं ।

*८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

यदि नहीं, तो किन कारणों से इस आदेश के वेपरीत कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—

प्रश्नगत परिपत्र "पंचायत राज निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह समाज शिक्षा) की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची" का आलेख्य मात्र है, जिसे अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित अधिकारियों की आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रसारित किया गया है । अतः उसके अनुसार बी० डी० ओ० के पदों पर पदोन्नति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बी० डी० ओ० के पद पर पदोन्नतियां तथा नियुक्तियां विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सी-९२/३२४८ /२०/५० ई० आई० (ए) दिनांक ११ अप्रैल, १९६१ के अनुसार की जाती है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र संख्या प्रश्न संख्या ७ में दी गई है उसके अनुसार भी कुछ नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

उसके आधार पर कोई नियुक्तियां नहीं की गई है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ११ अप्रैल, १९६१ के पत्र के अनुसार बी० डी० ओज० की पदोन्नति के लिये क्या-क्या सिद्धान्त रखे गये हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्तियां दो प्रकार से की जाती हैं । एक तो नियमित रूप से और दूसरी स्थानापन्न रूप से । निमित रूप से खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों की कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा की जाती है और स्थानापन्न नियुक्ति मण्डलीय स्तर पर ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी का एक ही कैडर बनाने की सोच रहे हैं और यदि हां, तो इस कैडर के लोगों को स्थानापन्न बी० डी० ओ० के रूप में रखने पर विचार करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह--

समस्त प्रकार के ए० डी० ओज० स्थानापन्न नियुक्ति के लिये क्वालीफाइड हैं और यह भी क्वालीफाइड हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सहायक विकास अधिकारियों की कोई सीनियारिटी तालिका है ? यदि नहीं है तो क्या मंत्री जी विभाग द्वारा तालिका तैयार करावेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया मण्डलीय स्तर पर ए० डी० ओ० की और ग्रुप १ व २ के जो वर्कर्स हैं और जो कम से कम हाई स्कूल पास है और तीन साल ब्लाक में काम कर चुके हैं और इनकी ज्येष्ठता सूची मण्डलीय स्तर पर बन चुकी है और मन्डलीय स्तर पर इनकी नियुक्तियां होती हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने प्रश्न ८ के उत्तर में बताया कि यह आलेख कब तक तैयार हो जायगा अर्थात् सीनियारिटी के हिसाब से कब तक पूरा का पूरा आलेख तैयार हो जायगा ?

श्री शिवराज सिंह--

आलेख्य तैयार है आपत्तियां मांगी गई हैं । आपत्तियों के प्राप्त होने पर शीघ्र फैसला ले लिया जायगा ।

*९--श्री रामचन्द्र विकल--

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*१०--श्री रामचन्द्र विकल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

जिला देहरादून के विकास खंड डोईवाला में आर्थिक अनियमिततायें तथा आलू के खराब बीज की शिकायतें

*११--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि विकास खण्ड डोईवाला, देहरादून के संबंधित किसी अधिकारी पर ८,०३९ रु० १ पैसा रासायनिक खाद के खुर्दबुर्द करने का आरोप आडिट द्वारा लगाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवबक्ष सिंह राठौर--

जी नहीं । इस प्रकार की कोई रिपोर्ट कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुई है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न हीं नहीं उठता है ।

*१२--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को इस बात की शिकायत है कि विकास खण्ड डोईवाला में जनवरी, १९६९ में आलू, १९६७-६८ में मटर तथा अन्य सब्जियों के सीड सप्लाई किये गये ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर---

वर्ष १९६९ में डोईवाला विकास खण्ड में वितरित किये गये केवल आलू के बीज में खराबी की शिकायत तीन कृषकों से प्राप्त हुई जिसकी जांच जिला कृषि अधिकारी देहरादून ने करके दिनांक १६ जून, १९७० को अपना प्रतिवेदन निदेशक, औद्योगिक अनुसंधान, सहारनपुर को अंतिम निर्णय हेतु भेज दिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

प्रश्न ११ के संबंध में क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि जो आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यह बात जानते हुए कि विकास खण्ड डोईवाला में खाद में खुर्द-बुर्द हुई है, क्या जिला अधिकारी को इसकी सूचना है ?

श्री शिवराज सिंह---

माननीय सदस्य के सुझाव पर अमल किया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

प्रश्न १२ के संबंध में क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलायेंगे कि आलू के बीज की खराबी की सूचना सन् १९६९ में उनको किस तारीख को मिली ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, यह शिकायत विभिन्न शिकायतकर्त्ताओं से विभिन्न तिथियों में प्राप्त हुई । पहली शिकायत श्री भट्ट से १ मार्च, १९६९ को, दूसरी सरदार उज्जवल सिंह से १ मार्च, १९६९ को और तीसरी शिकायत श्री एन०एस० वर्मा से भी मार्च के महीने में प्राप्त हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय कृषि मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतें मार्च, १९६९ में प्राप्त हुई और जो कृषि अधिकारी की रिपोर्ट है वह १६ जून, १९७० को भेजी गई, इस बात की जानकारी करेंगे कि यह रिपोर्ट प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बाद भेजी गई है ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, कार्यवाही जिस तिथि से शिकायतें प्राप्त हुई हैं उस तिथि से जारी है । यह बात सही है कि वह कार्यवाही १६ तारीख को सम्पूर्ण हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय कृषि मंत्री जी जो मटर के बीज के बारे में शिकायत है उसकी दुबारा जांच कराने पर विचार करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उस संबंध में कार्यवाही कर ली जायेगी ।

अलीगढ़ जिले में जन-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उनके होम टाउन में नियुक्ति

*१३—श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में ३१-३-७० को जन-स्वास्थ्य विभाग के कितने गजटेड अधिकारी ऐसे हैं जो उसी जिले के निवासी हैं तथा उन्हें होम टाउन में नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री अनवार अहमद—

केवल एक ।

उसके बच्चों की शिक्षा सुविधा की विशिष्ट परिस्थितियोंवश ही इस अधिकारी की नियुक्ति उसके होम टाऊन में की गई ।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*१४—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माण-शाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत कार्य करने वाले, ६ कर्मचारियों को स्थायी करने का कोई आदेश शासन द्वारा निदेशक, आयुर्वेद को दिनांक ५ सितम्बर, १९६७ को प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेशानुसार कर्मचारियों को स्थायी किया गया या नहीं ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां, ६ कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे । दो कर्मचारी स्थायी हो चुके हैं और दो का मामला निदेशक आयुर्वेद के विचाराधीन है । शेष दो कर्मचारियों को स्थायी करना अभी सम्भव नहीं है क्यों कि जिन पदों पर वे नियुक्त हैं वे पद ही अस्थायी हैं ।

*१५—श्री अनन्तराम जायसवाल (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उक्त ६ कर्मचारियों के नाम, पद व कार्य करने की अवधि क्या है ?

श्री अनवार अहमद—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२२० पर)

प्रदेश में गेहूं क्रय करने की सरकारी दरें तथा क्रय केन्द्रों की संख्या व क्रय की गई मात्रा

*१६—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद के लिये गेहूं की किस-किस किस्म की प्रति क्विन्टल क्या-क्या दरें निर्धारित की गयी हैं ? क्या सरकार उनके मूल्य की बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की पूर्व सहमति से इस प्रदेश के लिये १९७०–७१ फसल के विभिन्न प्रकार के गेहूं का खरीदारी मूल्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये हैं :

(मू० प्रति क्विन्टल)

गेहूं की किस्म	सफेद, सरवती और मैक्सिकन गेहूं	देशी लाल गेहूं
	रु०	रु०
१—उत्तम औसत किस्म	७६.००	७४.००
२—एक श्रेणी नीचे	७५.००	७३.००
३—दो श्रेणी नीचे	७४.००	७२.००

बुन्देलखंड का अधिक मटियाला गेहूं, चाहे सफेद हो या मैक्सिकन या लाल देशी गेहूं, का खरीदारी मूल्य निम्नलिखित निर्धारित किया गया है :

(मू० प्रति क्विन्टल)

	रु०
१० अप्रैल, १९७० से ७ मई, १९७० तक	
(१) २ से ३.५ प्रतिशत मिट्टी वाला	७१.००
(३) ५ प्रतिशत तक मिट्टी वाला	६९.५०
८ मई, १९७० से	
(१) २ से ३ प्रतिशतक तक मिट्टी वाला	७१.००
(२) ३ से ४ प्रतिशत तक मिट्टी वाला	७०.००

गेहूं की उपरोक्त खरीदारी मूल्यों में सरकार का कोई बढ़ोत्तरी करने का विचार नहीं है। यह विषय कृषि मूल्य आयोग तथा भारत सरकार के प्रधि क्षेत्र में आता है।

*१७—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि केन्द्रीय खाद्य निगम के सहयोग से ३० अप्रैल, १९७० तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्रय केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और उपरोक्त तिथि तक कुल कितना-कितना खाद्यान्न किस-किस जिन्स का खरीदा जा चुका है ? वर्तमान रबी की फसल का कुल कितना खाद्यान्न खरीदने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का है तथा वह कब तक पूरा कर लिया जायगा ? क्या सरकार कुछ और क्रय केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितने तथा कहां-कहां ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष १९७०–७१ की रबी फसल के गेहूं की खरीदारी के लिये इस प्रदेश में ३०–४–७० को भारतीय खाद्य निगम तथा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन ने क्रमशः ३९६ तथा ३८१

क्रय केन्द्र स्थापित कर रखे थे। उपरोक्त तिथि तक इन क्रय केन्द्रों द्वारा गेहूं की खरीदारी निम्नलिखित मात्रा में की गई थी :—

भारतीय खाद्य निगम द्वारा

गेहूं की किस्म	टन
फार्म	४
एस ३०७	६
दड़ा	४३९
कल्याण	२७५७
मैक्सिकन	७९०
मैक्सिकन लाल	३५०
योग ..	४३४६

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा—४०७ टन

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर इस प्रदेश के लिये १९७०–७१ की फसल के गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य ५ लाख टन निर्धारित किया गया है।

खरीदारी का लक्ष्य पूरा होना, गेहूं के भावों पर निर्भर करता है। यदि आवश्यक हुआ तो गेहूं की खरीदारी पूरे वर्ष चल सकती है ताकि मूल्यों में गिरावट को रोका जा सके। निश्चित समय से पूर्व वर्षा होने के कारण इस समय मूल्यों में वृद्धि तथा मंडियों में कम आमद की वजह से यह कहना कठिन है कि गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य कब तक पूरा हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा ३०–४–७० के पश्चात् क्रय केन्द्रों की संख्या ३८१ से बढ़ाकर ४०६ कर दी गई है। फिलहाल अब अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है।

श्री कल्यान सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। यह देखते हुए कि ३० अप्रैल, १९७० तक भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फैडरेशन द्वारा कुल मिलाकर केवल ४७५३ टन गल्ला ही खरीदा जा सका है और लक्ष्य ५ लाख टन का है, अभी लक्ष्य पूर्ति में बहुत कसर है और इस बात को भी देखते हुए कि गेहूं का भाव नीचे न आने पावे, क्या सरकार कुछ और क्रय-केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कितने और कब तक?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, यह गेहूं की जो खरीदारी हो रही है जब तक कि भाव जो निर्धारित मूल्य है उससे नीचे नहीं आता तब तक खरीदारी में कुछ वृद्धि नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बरसात समय से पूर्व हो जाने के कारण मंडियों में आमद कम है जिसकी वजह से खरीदारी अब तक लक्ष्य को पूरा करने के लिये पूरी नहीं हो सकी है, किन्तु मेरे पास जो सूचना है वह १७ जून तक की है कि १ लाख ५७ हजार ८६ टन गेहूं खरीदा जा चुका है। यह ख्याल है कि गेहूं जिस समय भी मार्केट में आएगा बराबर खरीदारी जारी रहेगी।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी--

मान्यवर, हाल में जो वर्षा हुई है उससे खलिहानों में गेहूं भीग गया है, तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि यह भीगा हुआ गेहूं भी उसी रेट पर लिया जाएगा जो रेट तय किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह आदेश दिये गये हैं कि जो भीगा हुआ गेहूं है और सुखाई के बाद मार्केट में लाया जाएगा उसको भी सरकार खरीदेगी ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि भारत सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के लिये गेहूं का भाव निश्चित किया वह किसानों के लिए लागत मूल्य से कम है, क्या सरकार ने भारत सरकार से यह निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों के गेहूं की कीमत कुछ और बढ़ा दी जाय ? यदि हां, तो कब और उसका क्या उत्तर मिला ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर ही यहां उत्तर प्रदेश में गेहूं के भाव निश्चित किये गये हैं । उसके लिये यह अलग एजेन्सी है जो समय-समय पर भावों को निर्धारित करती रहती है । उसी की सिफारिश पर यह भाव निश्चित किये गये हैं ।

*१८--श्री रियासत हुसैन--

[पुनर्विचार के पश्चात् निरस्त]

*१९-२०--श्री गंगा प्रसाद--

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद जिले के कस्बे लाल गोपालगंज में तथाकथित अस्पताल खोलने की योजना

*२१--श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के कस्बा लाल गोपालगंज में सरकारी अस्पताल खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री अनवार अहमद--

जी नहीं ।

*२२--श्री महरम सिंह--

[११वें मंगलावार के लिये स्थगित]

*२३--श्री गोविन्द सिंह--

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सीतापुर जिले में तम्बौर, मतुआ तथा थानगांव में तथाकथित अस्पताल खोलने की योजना

*२४—श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर जिले में तम्बौर में महिला अस्पताल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं ।

*२५—श्री कृष्णकान्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मतुआ तथा थानगांव व दो स्थानों पर जहां कि १० मील से निकट कोई अस्पताल नहीं है क्या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं ।

*२६—श्री उमा शंकर शुक्ल—

[११वें मंगलावार के लिये स्थगित]

पर्वतीय जिलों में भूमि-संरक्षण कार्य तथा कटाव से रोकी गई भूमि का क्षेत्रफल

*२७—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि-संरक्षण का कार्य किन-किन पर्वतीय जिलों में और कहां-कहां चल रहा है और उसमें कार्य कर रहे विभिन्न स्तरों में कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उन पर वार्षिक वेतन व अन्य व्यय क्या है ?

श्री शिवराज सिंह—

पर्वतीय क्षेत्रों के ८ जिलों में ११ भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा भूमि-संरक्षण कार्य चल रहा है जिसका विवरण संलग्न तालिका (क) में दिया हुआ है । इन जिलों में विभिन्न स्तर के १५ अधिकारी तथा ५०१ कर्मचारी भूमि-संरक्षण कार्य कर रहे हैं । इनके वेतन व अन्य व्यय पर वर्ष १९६९-७० में २८,९९,३७० रु० ८६ पै० व्यय हुआ ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२२१ पर)

*२८—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विभाग द्वारा गत वर्ष कहां-कहां और किस-किस क्षेत्र में कितनी भूमि का कटाव रोका गया ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्ष १९६९-७० में विभिन्न इकाइयों द्वारा ४३९५ हेक्टेयर भूमि में भूमि कटाव रोका गया जिसका विवरण संलग्न तालिका (ख) में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२२१ पर)

बांदा जिले के करवी तथा राजापुर के चिकित्सालयों का राजकीयकरण तथा राजापुर में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना

*२९—श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के करवी व राजापुर चिकित्सालयों के राजकीयकरण व अपग्रेड करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अनवार अहमद—

बांदा जिले के करवी पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों का राजकीयकरण हो चुका है। राजापुर के पुरुष चिकित्सालय के राजकीयकरण का विषय शासन के विचाराधीन अभी नहीं है।

इन चिकित्सालयों के अपग्रेडिंग का मामला विचाराधीन नहीं है।

*३०—श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के राजापुर में महिला चिकित्सालय बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक उनका कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला उन्नाव के विकास खंड बिछिया के कर्मचारियों का वेतन भुगतान न होना

*३२—श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक बिछिया, जिला उन्नाव के कितने ब्लाक कर्मचारियों का १९६५–६६ से कितना वेतन अवशेष है? इसका क्या कारण है और उनको वेतन देने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री शिवराज सिंह—

विकास खंड बिछिया, जिला उन्नाव में एक कर्मचारी का ६५–६६ से संबंधित १८९-रुपये ३५ पैसे का वेतन अवशेष है। विलम्ब का कारण यह है कि संबंधित कर्मचारी का संशोधित अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र बिलम्ब से प्राप्त हुआ। वेतन बिल महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की सेवा में पूर्व समीक्षा की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

बाराबंकी जिले के एक ही विकास खंड में ५ वर्षों से तैनात बी० डी० ओ०

*३३—श्री अवधेश कुमार—

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में एक ही ब्लाक में ५ वर्षों से कितने बी० डी० ओ० कार्य कर रहे हैं?

श्री शिवराज सिंह—

कोई नहीं।

*३४—श्री मंजूर अहमद, श्री श्यामसूरत उपाध्याय, श्री रूपनाथ सिंह यादव, तथा श्री श्यामलाल—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*३५—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

क्रय-विक्रय समिति, बस्ती द्वारा निर्मित सहकारी शीत-गृह में आलू रखने की क्षमता

*३६—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री रामकरन (जिला गोरखपुर) तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड बस्ती द्वारा निर्मित सहकारी ठंडाघर में कितनी लागत लगी है उसमें कितने क्विन्टल आलू रखने की क्षमता है और सहकारी ठंडाघर में गत तीन वर्षों में कितना-कितना आलू रखा गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

अभी तक बस्ती क्रय-विक्रय समिति द्वारा निर्मित सहकारी शीत गृह में रु० ७,०३,०५३-१६ पैसे की लागत लगी है। शीत-गृह की क्षमता १८,६६० क्विन्टल आलू रखन की होगी परन्तु दो कक्षों में से एक कक्ष अभी कुछ अधूरा है। एक कक्ष जो चालू है उसमें ९,३३० क्विन्टल आलू रखने की क्षमता है। शीत-गृह १९६८-६९ में चालू हुआ था। वर्ष १९६८-६९ में ६७७.१७ क्विन्टल और १९६९-७० में १२२९.६१ क्विन्टल आलू रखा गया है।

क्रय-विक्रय समिति, बस्ती में कुल जमा पूंजी तथा सदस्यों द्वारा अग्रिम धन लेना

*३७—श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन (गोरखपुर) तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्रय-विक्रय समिति, बस्ती की कुल कितनी जमा पूंजी है और उसमें से संचालक मण्डल के किन-किन सदस्यों से तथा संबंधित प्रारंभिक समितियों ने कितना रुपये एडवांस ले रखा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

क्रय-विक्रय समिति बस्ती की कुल जमा पूंजी २,५५,२३७ रु० समिति के निम्नलिखित भूतपूर्व संचालकों ने कारोबारी पूंजी से निम्नलिखित धन का अग्रिम ले रखा है—

		रु०
(१)	श्री हरि प्रसाद पांडेय ..	६,२५०
(२)	श्री आदित प्रसाद पांडेय ..	४,७००
(३)	श्री सीता सरन सिंह ..	१,१००
(४)	श्री रामानन्द सिंह ..	२,०००
(५)	श्री राज बहादुर चन्द ..	७,६५०

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित औद्योगिक समितियों ने भी उनके सामने लिखित धन का अग्रिम ले रखा है।

		रु० पै०
(१)	सहकारी औद्योगिक कुटाई समिति, बैरागल	७२,४९२-५८
(२)	सहकारी औद्योगिक कुटाई समिति, देवरिया गंगा	७२,४९२-५८

गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती तथा अध्ययन की व्यवस्था

*३८—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती की क्या संख्या निश्चित की गई है तथा उनकी पढ़ाई की क्या व्यवस्था है ?

श्री अनवार अहमद--

अभी इस कालेज के भवनों का निर्माण हो रहा है और आवश्यक भवन तैयार हो जाने पर यहां छात्रों की भर्ती व उनकी पढ़ाई की व्यवस्था संभव हो सकेगी आरंभ में इस कालेज ५० छात्र भर्ती किये जाने का प्रस्ताव है ।

देवरिया जिले में डालडा के थोक विक्रेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*३९--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के अन्तर्गत होलसेल डालडा विक्रेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक १५ मई, १९७० तक कितने मामले सरकार के पास जांच हेतु विचाराधीन हैं, कितने के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

१५ मई, १९७० तक देवरिया जिला में पांच होलसेल डालडा विक्रेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले जांच हेतु विचाराधीन हैं । इनमें से एक होलसेल विक्रेता मेसर्स गनपतराय या मन्ना लाल का लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया गया था परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस निलम्बन आदेश को स्थगित कर दिया गया है । इन पांच में चार के विरुद्ध पुलिस जांच चल रही है और एक के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है ।

*४०--४१--श्री राम देव--

[११वें मंगल वार के लिये स्थगित]

हरदोई, सीतापुर, बदायूं तथा मुरादाबाद जिले के ए० डी० ओ० को वेतन तथा यात्रिक भत्ता का भुगतान न होना

*४२--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई, सीतापुर, बदायूं तथा मुरादाबाद जिलों में काम कर चुके ऐसे कौन-कौन ए० डी० ओ० हैं जिनको कि वर्ष १९६४-६५ तथा १९६५-६६ का वेतन का कुछ अंश एवं यात्रिक भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे ए० डी० ओ० कौन-कौन हैं तथा यह बकाया अब तक न देने का कारण क्या है ?

श्री शिवराज सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश की इन्ट्रीग्रेटेड डिस्पेन्सरीज में डाक्टरों का अभाव

*४३--श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी इन्ट्रीग्रेटेड डिस्पेंसरीज हैं जिनमें मेडिकल अफसर नहीं हैं ?

श्री अनवार अहमद--

प्रदेश में २७ पुरुष तथा ४ महिला इन्ट्रीग्रेटेड डिस्पेंसरीज में मेडिकल आफिसर नहीं हैं ।

जालौन के नियोजन अधिकारी द्वारा तथाकथित बेचे गये पम्पिग सेट तथा उन पर प्राप्त कमीशन

*४४—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में प्लानिंग अधिकारी द्वारा पिछले तीन सालों में कितने पंपिग सेट बेचे गये और यह किस-किस कंपनी के थे उनकी अलग-अलग कीमत क्या थी ?

श्री शिवराज सिंह—

जालौन जनपद में प्लानिंग अधिकारी द्वारा पिछले तीन साल में कोई पंपिग सेट नहीं बेचा गया। कृषक अपनी स्वेच्छा से स्वीकृत मेक का पंपिग सेट स्वयं खरीदता है जैसा कि नियम है। इसलिये किन कंपनियों के पंपिग सेट बेचे गये और उनकी कीमत क्या थी उसका विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४५—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन कंपनियों ने जो कमीशन हमारे काश्तकारों को सीधी खरीद पर दिया क्या वह विकास विभाग को भी मिला है ? यदि हा, तो कितना और किस फण्ड में जमा किया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

विकास विभाग द्वारा कोई भी पंपिग सेट नहीं बेचा गया अतएव कमीशन मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त स्वास्थ्य निदेशिका एवं सहायक निदेशिका उपचारिका के पदों का तथाकथित सृजन

*४६—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या यह सत्य है कि संयुक्त स्वास्थ्य निदेशिका (महिला) एवं सहायक निदेशिका उपचारिका (Nursing) के पदों को सृजित करने के लिये वर्ष १९६६-६७ के बजट में नई मांगों के द्वारा धनराशि का प्राविधान कराया गया था लेकिन उस वर्ष में पदों को सृजित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

वर्ष १९६६-६७ में ऐसा कोई प्राविधान नहीं कराया गयाथा। अतः इन पदों के सृजन का प्रश्न नहीं उठता ।

*४७—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या यह सही है कि उक्त पदों को सृजित करने हेतु पुनः वर्ष १९६८-६९ की नई मांगों के द्वारा धनराशि का प्राविधान कराया गया ?

श्री अनवार अहमद—

वर्ष १९६८-६९ में भी ऐसा कोई प्राविधान नहीं कराया गया ।

एग्रीकल्चर फाइनेन्स कारपोरेशन के विचाराधीन योजनायें

*४८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६९-७० में एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन के सम्मुख कौन-कौन स्कीमें विचाराधीन थीं और उनमें से कौन- कौन सी कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृत स्कीमें सरकार को उक्त कारपोरेशन से प्राप्त हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० में एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन के सम्मुख ६ जिलों को १९ कृषि विकास योजनायें लगभग ९१,६८,७८० रु० की रिफाइनेंस की सुविधा देने हेतु विचाराधीन थीं। विवरण संलग्न है। उनमें से केवल वाराणसी जिले में हैचरी (hatchery) की स्थापना की ९७ हजार रुपये की योजना कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत की गई। अन्य के संबंध में कारपोरेशन से पत्र-व्यवहार जारी है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १२२२–१२२३ पर)

सहायक निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के वेतन तथा यात्रिक भत्ते का भुगतान न होना

*४९—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश के ११६ सहकारी निरीक्षक वर्ग २ तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का विकास खण्डों के विघटन के कारण नवम्बर। दिसम्बर, १९६७ व मार्च / अप्रैल, १९६८ का वेतन, यात्रा भत्ता और वेतन वृद्धि रुकी हुई है? यदि हां, तो किन कारणों से? क्या सरकार वेतन, यात्रा भत्ता व वेतन वृद्धि का भुगतान कराने पर तत्काल विचार करेगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। प्रदेश में ११६ सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पदों पर काम करने वालों को केवल नवम्बर, १९६७ से जनवरी, १९६८ की अवधि का वेतन, यात्रा भत्ता आदि देना बकाया है। इसका कारण यह है कि उक्त अवधि के लिये इन पदों की स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। पदों की स्वीकृति के बाद देय बकाये का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायगा।

गल्ले की खरीदारी के मूल्यों का निर्धारण करना

*५०—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री महरम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गल्ले की खरीद के लिये कोई मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की पूर्व सहमति से इस प्रदेश के लिये विभिन्न श्रेणी के चावल तथा गेहूं के खरीदारी मूल्य निर्धारित किए गये हैं।

संबंधित आदेश संख्या ५१६४/२९–घ–८—९-३-६९, दिनांक २३ अक्तूबर, १९६९, ५५७४/२९–घ–८–१३-६९, दिनांक २५ नवम्बर, १९६९, संख्या पी० २११७ / २९–क–१—५-७०, दिनांक १० अप्रैल, १९७०, पी० २६३७। २९–क–५—५-१-७०—दिनांक १ मई, १९७० तथा तार संख्या पी० २८०३/२९–क–१, दिनांक ८ मई, १९७० की प्रतिलिपियां† सदन के पटल पर हैं।

---

†छापी नहीं गईं।

जिला बस्ती के विकास खंड उस्काबाजार के बी० डी० ओ० को दिया गया यात्रिक भत्ता तथा ब्लाक प्रमुख द्वारा भत्ते संबंधी शिकायत

*५१—श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय तथा श्री सुख पाल पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८–६९ एवं १९६९–७० में विकास खण्ड उस्काबाजार, जिला बस्ती के तत्कालीन बी० डी० ओ०, श्री राम प्रसाद को कितनी धनराशि टी० ए० के रूप में किस अधिकारी की आज्ञा से दी गई ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्ष ६८–६९ में १,००० रु० एवं वर्ष ६९–७० में १,३२९ रु० २० पैसे टी० ए० के रूप में दिया गया। ६८–६९ का टी० ए० अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), बस्ती के आदेशों द्वारा तथा ६९–७० का टी० ए० जिलाधीश बस्ती के आदेशानुसार दिया गया।

*५२—श्री अभिमन्य प्रसाद पांडेय तथा श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उपरयोक्त ब्लाक प्रमुख एवं अन्य व्यक्तियों ने संबंधित अधिकारियों से यह लिखित शिकायत की थी कि उपरोक्त बी० डी० ओ० न तो कभी क्षेत्र में दौरा करते हैं और न रात्रि में निवास करते हैं और फर्जी टी० ए० लेते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा कब तक और किस माध्यम से जांच की गई ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रमुख ने शिकायत की थी। उन्हें दो बार साक्ष्य देने के लिये लिखा गया। उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया परन्तु उन्होंने बाद में लिखकर दिया कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अतः इस संबंध में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जनपद की अतरौलिया डिस्पेन्सरी के डाक्टर का स्थानान्तरण

*५३—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद के अतरौललिया डिस्पेन्सरी के डाक्टर का स्थानान्तरण दिसम्बर, सन् १९६९ से मई, सन् १९७० तक कितनी बार किया गया तथा किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण रद्द किया गया ?

श्री अनवार अहमद—

अतरौलिया (पी० एच० सी०) जिला आजमगढ़ के डाक्टर का तबादला दिसम्बर, १९६९ से मई, सन् १९७० की अवधि में जनहित में दो बार किया गया और रद्द किया गया।

*५४—श्री सूबेदार प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

लखनऊ के सिविल सर्जन का अर्से से लखनऊ में नियुक्त रहना तथा एक्सटेंशन पर चलना

*५५—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ के सिविल सर्जन डा० पी० आर० सूरी कितने समय से लखनऊ में नियुक्त हैं ?

श्री अनवार अहमद—

डा० पी० आर० सूरी सिविल सर्जन, लखनऊ के पद पर दिनांक १० जुलाई, १९६६ से तैनात हैं।

*५६—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि क्या लखनऊ के सिविल सर्जन डा० पी० आर० सूरी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं?

श्री अनवार अहमद—

जी हां।

यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा बांटे गये ट्रैक्टर तथा जिला बुलन्दशहर से ट्रैक्टर सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

*५७—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा १५ मई, १९७० तक कितने ट्रैक्टरों को बांटा गया?

श्री शिवराज सिंह—

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा १५-५-१९७० तक उत्तर प्रदेश में २४६८ ट्रैक्टर बांटे गये तथा अन्य प्रदेशों को १९९९ ट्रैक्टर ऐसम्बिल करके भेजे गये।

*५८—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री चेतराम गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में अब तक कितने ट्रैक्टर दिये हैं और किन-किन के प्रार्थना-पत्र १९६७ व १९६८ के बाकी हैं?

श्री शिवराज सिंह—

जिला बुलन्दशहर में अब तक ९६ ट्रैक्टर दिये गये हैं और जिन-जिन के प्रार्थना पत्र १९६७ व १९६८ के बाकी हैं उनकी सूची काफी विस्तृत है। अतएव माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

उपनिदेशक भूमि संरक्षण, इलाहाबाद द्वारा सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक की सेवा समाप्ति

*५९—श्री मरहम सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल) तथा श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद डिवीजन में सन् १९६९ से ३१ मार्च, १९७० तक क्या किन्हीं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों की सेवा समाप्ति आदेश बिना निदेशक के स्वीकृति के लिये उप-निदेशक, भूमि संरक्षण, इलाहाबाद ने दिये हैं? यदि हां, तो कब और किन-किन सहायक निरीक्षक भूमि संरक्षण को और क्यों?

श्री शिवराज सिंह—

उप निदेशक, भूमि संरक्षण, इलाहाबाद ने सन् १९६९ से ३१ मार्च, १९७०, तक की अवधि में केवल एक सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, श्री ऊधो राम की सेवायें, बिना कृषि निदेशक के आदेश के ५-११-१९६९ को एक महीने की नोटिस देकर, समाप्त कर दी थीं, क्योंकि ऊधो राम की अस्थायी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। उस निदेशक द्वारा की कार्यवाही के विधिक पहलुओं पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

वाराणसी जिला नियोजन कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस केस

*६०—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, जिला नियोजन कार्यालय के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध सन् १९६६ से सन् १९७० के बीच पुलिस केस किया गया और उनमें से कितने कर्मचारी पुलिस केस से बरी हो गये ?

*६१—क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरिलिखित पुलिस केस होते हुये भी किन कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में बहाल किया गया और पुलिस केस से बरी कर्मचारियों को ५ मई, १९७० तक बहाल नहीं किया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध शिकायतें

*६२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी-गढ़वाल के वर्तमान जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध सरकार को उनके गलत आचरण, ठेकेदारों के पैसे बिना मतलब रोकने, सहयोगियों को बिना किसी अपराध के सताने और स्वयं मालियों के क्वार्टरों पर कब्जा करने की शिकायतें १९६८ के बाद उक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवराज सिंह—

श्री मोतीलाल जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध वर्ष १९६८ के बाद कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जांच के पश्चात् उनमें से कुछ शिकायतें प्रत्यक्षतः सही प्रतीत हुई हैं एवं कुछ अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जांच जारी है। प्रत्यक्षतः सही पाई गई शिकायतों के आधार पर श्री जायसवाल के विरुद्ध तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने का निश्चय किया गया है।

*६३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले के वर्तमान जिला कृषि अधिकारी, गढ़वाल जिले में कब से हैं क्या उनके स्थानान्तरण करने के विषय में जिला परिषद्, गढ़वाल ने कोई प्रस्ताव पास किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव राज सिंह—

श्री मोती लाल जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, इस पद पर १२-६-६५ से कार्य कर रहे हैं। उन्हें तुरन्त स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। जिला अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने यह सूचना दी है कि जिला कृषि अधिकारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिला परिषद् द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज सेलरी अर्नर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, देहरादून में गोलमाल का सन्देह

*६४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून रोडवेज सायटी में पिछले दो वर्षों के बीच एक भारी गबन हुआ ? यदि हां, तो सरकार कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

देहरादून रोडवेज वर्क्स सोसाइटी नाम की कोई सहकारी समिति नहीं है बल्कि देहरादून रोडवेज में यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज सेलरी अर्नर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, देहरादून नाम की सहकारी समिति कार्य कर रही है। इस समिति के अभिलेख पुराने पदाधिकारियों से प्राप्त न होने पर गोलमाल का संदेह हुआ। अतः मामला पुलिस को दे दिया गया। पुलिस की जांच के बाद मामला लोअर कोर्ट में चला जिसमें श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, समिति के खजांची को ४०९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। श्री गुप्ता ३-१-१९६९ से निलम्बित हैं।

देहरादून जिले के विकास खंड, डोईवाला में सबसिडी देना

*६५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि देहरादून स्थित डोईवाला ब्लाक में ४,००० रु० से अधिक सबसिडी कितने किसानों को १९६९-७० में दी गई?

श्री शिवराज सिंह—

वर्ष १९६९-७० में देहरादून स्थित डोईवाला ब्लाक में दो व्यक्तियों को रु० ४,२५० तथा रु० ४,१२५ क्रमशः सबसिडी के रूप में नकद भुगतान किये गये।

जिला बुलन्दशहर में ग्राम युवकों को वेतन का भुगतान न होना।

*६६—श्री मुममताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने ग्राम सेवक ऐसे हैं कि जिनका १ जनवरी, १९६० से १ जनवरी, १९७० तक की अवधि का कई-कई मास का वेतन रुका हुआ है? यदि हां, तो यह वेतन किन-किन कारणों से उनको भुगतान नहीं किया गया और उसके भुगतान की शीघ्रातिशीघ्र सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री शिवराज सिंह—

ऐसे १७ ग्राम सेवक हैं। वेतन भुगतान न होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) कुछ ग्राम सेवकों का अनधिकृत अवकाश पर होना जिसको स्वीकृत करने में कठिनाई है।

(२) कुछ ग्राम सेवकों का विकास क्षेत्रों में स्थानान्तरण, परन्तु रिक्त स्थान न होने के कारण योगदान देने में कठिनाई।

(३) कुछ ग्राम सेवकों की वेतन वृद्धि पर सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण अथवा अधूरी होने के कारण वेतन निर्धारित करने में कठिनाई।

प्रत्येक मामले में शीघ्र भुगतान करने की आवश्यक कार्यवाही जारी की गयी।

*६७-६८—श्री सूरजलाल गुप्त—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिये गये]

सहकारी मिल्क बोर्ड, कानपुर में तथाकथित गबन की जांच

—श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सहकारी मिल्क बोर्ड, कानपुर के खिलाफ गबन के सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो उस जांच की क्या स्थिति है?

श्री फूल यादव—

मिल्क बोर्ड कानपुर के खिलाफ गबन के सम्बन्ध में जांच के आदेश नहीं दिये

सहकारी निरीक्षक एवं सहायक विकास अधिकारियों के स्थायी पद

*७०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी निरीक्षक एवं सहायक विकास अधिकारी के कितने स्थायी स्थान इस समय रिक्त हैं और ऐसे पदों पर कितने लोग अलग-अलग कितनी मुद्दत से अस्थायी रूप में काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस समय सहकारी निरीक्षकों के १७८ पद तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के २७४ पद, इस तरह कुल ४५२ स्थायी पद रिक्त हैं। यह सभी स्थाई पद, जब से वह रिक्त हैं अस्थाई रूप से भरे हुये हैं। उक्त स्थाई पदों का वर्षवार ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२२४ पर)

मोबाइल स्वायल टेस्टिंग लेबोरेटीरीज की स्थापना

*७१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार किसानों की सहायता हेतु स्वायल टेस्टिंग स्कीम बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री शिवराजसिंह

स्वायल टेस्टिंग का कार्य प्रदेश में पहले ही से चल रहा है। इस कार्य को और बढ़ावा देने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में मंडलीय स्तर पर मोबाइल स्वायल टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापित करने के लिये प्राविधान किया गया है ताकि किसानों को उनके गांवों के पास ही स्वायल टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके।

कृषि उत्पादन निगम द्वारा सब्जियों के प्रोसेसिंग हेतु कोलेबरेशन स्कीम

*७२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि उत्पादन निगम विदेशों से विभिन्न सब्जियों को प्रोसेसिंग हेतु कोई कोलेबरेशन स्कीम पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री शिवयाज सिंह—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*७३—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (गोरखपुर)—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद के प्रबन्ध संचालक द्वारा गबन

*७४—श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद के प्रबन्ध संचालक किसी गबन अथवा बैंक संबंधी किसी गड़बड़ी के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए हैं और न्यायालय से जमानत पर छूटे हैं ? यदि हां, तो कब और किस अभियोग में ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद के प्रबन्ध संचालक श्री विश्वनाथ कपूर के विरुद्ध २७,६५५ रु० के अपहरण एवं दुरुपयोग की रिपोर्ट पुलिस कोतवाली, फैजाबाद में २६-५-६७ को दर्ज करायी गयी थी जिसके फलस्वरूप धारा ४०९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी के लिए वारन्ट जारी हुआ था। किन्तु श्री कपूर गिरफ्तारी के पूर्व ही दिनांक १-६-६७ को जे० एम० सदर, फैजाबाद के न्यायालय में उपस्थिति हो गये और उसी दिन जमानत पर रिहा हुए।

गोरखपुर जिले की क्षेत्रीय सहकारी समिति, लक्ष्मीपुर के मंत्री व्यवस्थापक द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन न करना

*७५—श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)

क्या सहकारिता मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद की क्षेत्रीय सहकारी समिति, लक्ष्मीपुर के सहकारी पर्यवेक्षक श्री बैजनाथ गुप्त का स्थानान्तरण लगभग एक वर्ष पूर्व हो जाने के बावजूद २९ मई, १९७० तक पूरा चार्ज न हो सकने के फलस्वरूप समिति का कार्य ठप है तथा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से समिति के कार्यालय और कार्यालय के उपलब्ध सामानों का चार्ज सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, फरेंदा के द्वारा विगत अगस्त मास में ताला तोड़ कर दूसरे सहकारी पर्यवेक्षक श्री रामवृक्ष सिंह को दिला दिया गया है, फिर भी स्थानान्तरण पर्यवेक्षक बैजनाथ गुप्त समिति के अभिलेखों को लेकर क्षेत्र में अब भी अवैधानिक ढंग से धन की वसूली कर स्वहित में उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव

श्री बैजनाथ जायसवाल का स्थानान्तरण क्षेत्रीय सहकारी समिति, लक्ष्मीपुर के मंत्री व्यवस्थापक पद से क्रय-विक्रय सहकारी समिति, नौतनवा के एकाउन्टेन्ट-कम-गोडाउन कीपर के पद पर किया गया था। इसका अनुपालन उन्होंने नहीं किया। इसलिए एस० डी० एम०, फरेन्दा द्वारा लक्ष्मीपुर सहकारी समिति के रेकर्डों का चार्ज नव नियुक्त मंत्री व्यवस्थापक श्री रामवृक्षक सिंह को दिलवाया गया। परन्तु फिर भी वर्ष १९६८--६९ के अभिलेख श्री जायसवाल द्वारा नहीं दिए गए इसलिये श्री जायसवाल के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही की जा रही है।

जहांतक अवैधानिक ढंग से धन की वसूली का प्रश्न है, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

इलाहाबाद जिले के विकास खंड फूलपुर में लगे नलकूप का खराब होना

*७६—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामदेव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खंड फूलपुर के अहाते में जो नलकूप विकास खंड, फूलपुर के अधिकारियों, कर्मचारियों के पानी पीने के लिये एवं विकास खंड की जमीन की सिचाई करने के लिये सन् १९५३-५४ में सिंचाई विभाग द्वारा लगाया गया वह ४-५ वर्षों से खराब है तथा वहां पीने के पानी का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को ठीक कराने अथवा पीने के पानी का अन्य साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी और कब तक ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, फूलपुर विकास खंड के अहाते में सन् १९५३-५४ में एक कैविटी बेल का छिद्रण किया गया था और इसे सन् १९६०-६१ में पेयजल हेतु बेबी नलकूप के नाम से चालू किया गया। यह बेबी नलकूप जुलाई १९६८ से खराब है न कि पिछले ४-५ वर्षों से, और मशीन के पुर्जे सुलभ न हो सकने के कारण चालू नहीं हो सका। इसके चालू करने में लगभग छः माह का समय और लग सकता है।

क्षेत्रीय विकास अधिकारी, घोसी, जिला आजमगढ़ का स्थानान्तरण

*७७—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि क्षेत्र विकास अधिकारी, घोसी जनपद, आजमगढ़ का स्थानान्तरण क्षेत्रीय जनता की शिकायत पर जिला देवरिया के लिये किया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां।

स्थानान्तरण आदेश का पालन हो चुका है।

महिला चिकित्सालय पिहानी, जिला हरदोई में लेडी डाक्टर की तैनाती न होना

*७८—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिहानी, जिला हरदोई के महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर कितने समय से नहीं है और सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला डाक्टर का कब तक प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

श्री अनवार अहमद—

महिला चिकित्सालय, पिहानी, जिला हरदोई में ५ फरवरी, १९६१ से कोई लेडी डाक्टर नहीं है। प्रदेश में लेडी डाक्टरों की भारी कमी के कारण उक्त चिकित्सालय में कोई लेडी डाक्टर नैतात नहीं की जा सकी है। उपयुक्त संख्या में लेडी डाक्टरों के उपलब्ध होने पर महिला अस्पताल, पिहानी में भी लेडी डाक्टर तैनात करने का प्रयास किया जायगा।

फरजी ट्रेजरी चालानों द्वारा सरकारी गोदाम से गल्ला उठाना

*७९— श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खाद्य तथा रसद विभाग, बरेली में लगभग ८६ हजार रुपया का गल्ला, विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से सस्ते गल्ले के दूकानदारों में गलत चालान द्वारा सरकारी गोदाम से सितम्बर–अक्तूबर, १९६९ में निकाला गया ? यदि हां, तो उन विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माह सितम्बर, १९६९ से माह दिसम्बर, १९६९ के बीच सस्ते गल्ले के दूकानदारों द्वारा फरजी ट्रेजरी चलानों पर सरकारी गोदाम से ८२, ७३१ रुपया ६५ पैसे का गल्ला उठाया गया। मामला जांच हेतु सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है। यदि जांच से कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

सिविल सर्जनों के स्थानान्तरण का स्थगन

*८०—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रदेश में २६ सिविल सर्जनों के स्थानान्तरण की सूची मई, १९७० में प्रकाशित की है उसमें से कितने स्थानान्तरण किस आधार पर रोके गये, रद्द किये गये अथवा उनमें परिवर्तन किया गया ?

श्री अनवार अहमद

सूची संलग्न है। सभी स्थगन तथा परिवर्तन प्रशासकीय कारणों से जनहित में किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२२५ पर)

*८१-८२—श्रीमती मसाली देवी—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*८३—श्री मंजूर अहमद, श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिव प्रसाद पाण्डिया—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*८४—श्री मंजूर अहमद, श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री शिव प्रसाद पाण्डिया

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

उन्नाव जिले के एक चेचक निरीक्षक को इन्क्रीमेन्ट की धनराशि न मिलना

*८५—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले में कितने ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिनका सन् १९६२ से १९६५ तक का टी० ए० व इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अनवार अहमद—

उन्नाव जिलेंमें केवल एक भूतपूर्व चेचक निरीक्षक ऐसा है जिनको (उन्नाव जिले में) उनके कार्य-काल (दिनांक १-६-१९६५ से २८-२-१९६६ तक) का इन्क्रीमेन्ट अभी तक नहीं मिला है क्योंकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उन्नाव ने इस अवधि का इन्क्रीमेन्ट बिल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को "प्रीआडिट" हेतु भेजा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सन् १९६२ से १९६५ तक किसी भी चेचक निरीक्षक के टी० ए० देने के लिये अवशेष नहीं है ।

जिला मैनपुरी की बेवर डिस्पेन्सरी के डाक्टर का स्थानान्तरण

*८६—श्री गोविन्द सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले की बेवर स्थित सहकारी डिस्पेंसरी के इंचार्ज डाक्टर के स्थानान्तरण का विचार कर रही है ?

श्री अनवार अहमद—

बेवर डिस्पेन्सरी जिला मैनपुरी के डा० आर० के० कटियार का स्थानान्तरण जिला जेल व पुलिस अस्पताल मैनपुरी कर दिया गया है ।

८७-८८—श्री निहाला सिंह—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

जुनवई, जिला बदायूं के अस्पताल में डाक्टर की तैनाती न होना

*८९—श्री ऋषिपालसिंह (जिला बदायूं) तथा श्री कृष्णस्वरूप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं के अन्तर्गत गुन्नौर तहसील में जुनवई अस्पताल में कब से डाक्टर नहीं हैं और क्या सरकार वहां डाक्टर की शीघ्र व्यवस्था का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

जुनवई (पी० एच० सी०) जिला बदायूं में दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६९ से डाक्टर नहीं है। जितनी जल्दी सम्भव होगा वहां डाक्टर तैनात करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

*९०—श्री मंजूर अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहायक विकास अधिकारियों (सहकारिता) का वेतन निर्धारण

*९१—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता विभाग) पिछले ८-१० वर्षों से अपने पदों पर निरन्तर कार्य करते चले आ रहे हैं, किन्तु उनका वेतन निर्धारण नहीं हो रहा है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं, शासन की जानकारी में ऐसी कोई मामला नहीं है जिसमें कि किसी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का, जो पिछले ८-१० वर्षों से इसी पद पर निरन्तर कार्य करता चला आ रहा हो, वेतन निर्धारण न हुआ हो ।

*९२-९३—श्री श्रीशचन्द्र श्री केदार नाथ, श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवाराम—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

ग्राम सेवकों द्वारा सरकार को दिया गया मांग-पत्र

*९४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ग्राम सेवकों के डिपुटेशन ने उनसे मिलकर कोई मांग-पत्र मई मास में दिया है ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगे हैं और सरकार उनके सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। उनकी मांगों की सूची संलग्न है। सभी मांगें सरकार के विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२२६ पर)

*९५—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

[१०वें मंगलवार के प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९६—*९७—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[१०वें मंगलवार के प्र० सं० ३९—४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में साइकिलों के टायरों की कमी

*९८—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री महरम सिंह—

क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में साइकिल के टायर जनता को विशेष कठिनाई से मिलते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। प्रदेश में साइकिल के टायरों की कमी नहीं है।

सहायक कृषि विपणन अधिकारी, झांसी के भाई की डेरी में सरकारी कर्मचारियों से काम लेना

*९९—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री हरीशंकर सिंह,सहायक कृषि विपणन अधिकारी, जिला झांसी वहीं अपनी एक निजी डेरी खोले हुये हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से डेरी का कार्य कराते हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर और सही पाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि श्री हरि शंकर सिंह, सहायक कृषि विपणन अधिकारी, झांसी के भाई की एक डेरी झांसी शहर में स्थित है तथा उसमें सहायक कृषि विपणन अधिकारी, झांसी, के कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों से काम लिया जाता है। सरकार ने श्री हरि शंकर सिंह, सहायक कृषि विपणन अधिकारी को झांसी से तरन्त स्थानान्तरित कर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से गैर-सरकारी काम कराने के आरोप पर उसके विरुद्ध औपचारिक रुप से विभागीय जाच आरम्भ करने का निश्चय किया है।

*१००—श्री राम पूजन पटेल—

[१०वें मंगलवार के प्रश्न सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०१—श्री मंजूर अहमद तथा श्री मोतीलाल देहलवी—

[१०वें मंगलवार के प्र० सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०२—श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*१०३—श्री महरम सिंह—

[१०वें सोमवार के प्र० सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री महरम सिंह—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

२—श्री भाभी—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला रायबरेली के किसानों को नलकूप, पम्पिंग सेट तथा रहट लगाने के लिये ऋण देना

३—श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत वर्ष १९६५ से ३१ मार्च, १९७० तक कितना रुपया किसानों को पम्पिंग सेट, ट्यूबवेल एवं रहट के लिये कर्ज दिया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

रायबरेली जिले में वर्ष १९६५ से ३१ मार्च, ७० तक पम्पिंग सेट नलकूप एवं रहट हेतु किसानों को कर्ज निम्न प्रकार दिया गया—

कार्य	अंकन सं०
पम्पिंग सेट हेतु	५२,३८,४९६
नलकूप हेतु	१,१७,२३,०५७
रहट हेतु	१४,०४,४२५
योग ..	१,८३,६५,९७८

जिला सहकारी बैंकिंग यूनियन लिमिटेड, बस्ती के संचालकों तथा कर्मचारियों को बैंक द्वारा एडवांस धन देना

४—श्री सुखपाल पांडेय, श्री राम करन (गोरखपुर) तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंकिंग यूनियन लिमिटेड, बस्ती तथा उसकी शाखाओं में कुल कितना रुपया एडवांस संचालक मंडल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को दिया गया है और क्या यह सत्य है कि रिजर्व बैंक ने बस्ती बैंक को "बी" श्रेणी में कर रखा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला सहकारी बैंकिंग यूनियन लि० बस्ती के संचालकों तथा कर्मचारियों पर इस समय बैंक का कुल १०,७३८ रु० एडवांस लगा हुआ है। इसमें से १०६५ रु० बैंक के एक भूतपूर्व संचालक पर तथा ९,६७३ रु० ४ कर्मचारियों पर लगा हुआ है। कोआपरेटिव आडिट विभाग द्वारा उपरोक्त बैंक "बी" श्रेणी में रखा गया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया बैंकों का वर्गीकरण नहीं करता।

५—श्री मलिखान सिंह—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ जिले में नसबन्दी

६—श्री श्याम लाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में अप्रैल, १९६९ से १५ अप्रैल, १९७० तक कितने व्यक्तियों की नसबन्दी हुई है ?

श्री अनवार अहमद—

कथित अवधि में आजमगढ़ जिले में २४१७ व्यक्तियों की नसबन्दी हुई है (२३४४ पुरुष और ७३ महिला)।

७—श्री रामपूजन पटेल तथा श्री रामदेव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

भूतभूर्व सदस्य श्री के० सी० पुरी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ सदन को यह सूचना देनी है कि हमारी सभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री के० सी० पुरी का परसों निधन हो गया। वह १९४८ से १९५२ तक हमारी विधान सभा के सदस्य रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे सूबे में उनका प्रमुख स्थान था। वह सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के एजेन्ट बहुत दिनों तक रहे। हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक के मैनेजर भी वह बहुत दिनों तक रहे हैं। बैंको के क्षेत्र में उस समय इनकी काफी ख्याति थी। उनकी उमर ७५ वर्ष की थी। वह मेरे पड़ोस में ही रहते थे। कुछ दिन पहले स्नानागार में उनका पैर फिसल गया और उनकी हड्डी में चोट आ गई। उसी के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। मैं सदन के सभी मित्रों की ओर से यह चाहता हूं कि उनके संतप्त परिवार को इस सदन की समवेदना पहुंचा दें और साथ ही परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, यह समाचार सुनकर मुझे बड़ा दुख है कि श्री के० सी० पुरी जो ४८ से ५२ तक इस सदन के सदस्य रहे हैं, उनका देहान्त हो गया। वह हमारे कांग्रेस दल के एक बहुत ही भले और सज्जन तथा राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके सिलसिले में नेता सदन ने जो भाव व्यक्त किये हैं मैं अपने आप को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले और आपसे अपनी ओर से और अपने दल की ओर से प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की ओर से समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो भावना नेता सदन और नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय के० सी० पुरी जी के बारे में व्यक्त की है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। हमको यह समाचार सुनकर बड़ा दुख है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना उस संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

स्वर्गीय के० सी० पुरी के बारे में जो भाव नेता सदन तथा दूसरे नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। उनके इस प्रकार से देहावसान पर हम सब को दुख है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संतप्त परिवार तक आप हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावना स्वर्गीय के० सी० पुरी के सम्बन्ध में यहां पर व्यक्त की है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की भावनाओं को भी पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें माननीय नेता सदन ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं स्वर्गीय श्री के० सी० पुरी के सम्बन्ध में उन से मै अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर के संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें भी पहुंचा दें और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार और भावनायें यहां श्री के० सी० पुरी के निधन पर व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वह उनके पड़ोसी रहे हैं उसी तरह से वह मेरे भी पड़ोसी रहे हैं और जिस वक्त वह सदन के सदस्य थे, उनका काफी मेरे यहां आना जाना रहता था, वह एक सज्जन पुरुष थे, सबसे मिलजुलकर रहने वाले थे। बैंकिंग के क्षेत्र में उन का बड़ा अच्छा ज्ञान था और इसी वजह से वह यहां के सेन्ट्रल बैंक के एजेंट भी रहे जो कि एक बड़ा भारी मशहूर बैंक है और उसके बाद हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक के भी वह डायरेक्टर रहे। ऐसे सज्जन पुरुष का निधन होने पर हम सब को बहुत अधिक दुख हुआ है। इस सम्बन्ध में संतप्त परिवार तक संवेदना भिजवाने का जो हमारा कर्त्तव्य है उसको मैं पूरा करूंगा। अब हम परमात्मा से २ मिनट के लिये प्रार्थना करेंगे कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

(सभी सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने की घटना

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने प्रश्न संख्या १८ की ओर दिलाना चाहता हूं

(व्यवधान)

कई सदस्य—

सदन में पर्चे फेंके जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन् ,गैलरी से पर्चे फेंके जा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं उसका इंतजाम कर रहा हूं, मैंने मार्शल को भेजा है, वह अपने आदमियों को लेकर देखने गये हैं।

प्रश्नों के समय के उपरान्त ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ लेने की मांग

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा गम्भीर मामला है और मैंने नियम ५६ में लिखित सूचना भी दी है और हमारे कुछ साथियों ने भी दिया है कि २८ अप्रैल से यह सदन चल रहा है और सम्भवतः आज इस बजट का अन्तिम दिन है और हमारा बहुत ही गम्भीर

आरोप इस कार्य स्थगन प्रस्ताव का विषय है जोकि हमने लिखित दिया है। पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव १२ बजे प्रश्नों के बाद लिये जाते थे यह विशेषाधिकार के और कार्य स्थगन प्रस्ताव के सवाल इसी समय आते थे और जनहित के सारे मामले इसी समय आते थे, सरकर के जितने दुराचार, अनाचार और अत्याचार इस कदर बढ़ गये हैं कि अब पहली प्राथमिकता हमारे इस प्रस्ताव को मिलनी चाहिये। आज २३ तारीख है और बजट के विभिन्न विभागों पर चर्चा हो चुकी और सदन में इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने यहां सरकार की परफार्मेन्स के सम्बन्ध में जनता की भावनायें व्यक्त कर दी हैं श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि कार्य स्थगन का प्रस्ताव सदन में इसी समय लिया जाय। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह इतना जरूरी है जिसमें सरकार के सारे कार्यक्रमों के बारे में जिक्र है।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि.....

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं उसी नियम को टालने के लिये कहता हूं। वही नियम तो आपको बदलना पड़ेगा।

(अत्यधिक शोर)

श्रीमन्, मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं।

(व्यवधान)

(श्री बंशीधर पांडेय के प्रस्ताव पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष—

इनका यह भाषण लिखा नहीं जायगा। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ दें।

(श्री बंशीधर पांडेय के पढ़ते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इंगित करता हूं। आपको सदन छोड़ना चाहिये। कृपया आप सदन छोड़ें!

(इसके उपरान्त श्री बंशीधर पांडेय सदन छोड़ कर चले गये)।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपके सामने वह प्रस्ताव पड़ा हुआ है। अगर यह सरकार जुल्माना हरकतें करती रहेगी तो हम हरगिज इनके जुल्मों को सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं। आज इस प्रदेश में अव्यवस्था कायम हो चुकी है। आपको, श्रीमन्, अधिकार है कि आप इस नियम के क्रम को तोड़ कर इस सदन में इस पर चर्चा करा सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री, श्री चरण सिंह, की सरकार इस प्रदेश में कितना जुल्म ढा रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार हरगिज नहीं चल सकती। (व्यवधान) यह सरकार पक्षपात के बल पर या पुलिस के बल पर नहीं चल सकती है।

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि आप इस सदन का कार्य स्थगित करें, और इस सदन जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसपर आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष--

नियमों को निलम्बित करने के लिये आप प्रस्ताव पेश करें।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप कृपया बैठें तो। मेरी बात तो सुन लें ?

श्री अध्यक्ष--

देखिये, मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता हूं। आप कृपया बैठें। यदि नहीं बैठते तो सदन छोड़ें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सदन ऐसे कैसे छोड़ दें ? किस बात के लिये छोड़ दूं ? मैंने कौन-सा जुर्म किया है कि मैं सदन छोड़ूं ? आजतक भी सदन मैंने कभी नहीं छोड़ा है। मैंने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की है। मुझे बताया जाय कि मेरा क्या जुर्म है कि मैं सदन छोड़ूं। फिर भी अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं सदन छोड़दूंगा। लीजिये मैं जा रहा हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह सदन छोड़कर चले गये।)

(श्री सुरेन्द्र विक्रम के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं बैठते हैं, तो कृपया सदन छोड़िये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मैं सदैव आपकी आज्ञा मानता हूं। मैं जाता हूं।

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सदन छोड़कर चले गये।)

(शोर)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय.....

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय रामकरन को बुलाया है, आप कृपया बैठें। आप नहीं बैठते हैं तो कृपया सदन छोड़े।

श्री रामविलास पांडेय--

मैं सदन छोड़ता हूं।

(श्री रामविलास पांडेय सदन छोड़कर चले गये।)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

अभी-अभी गैलरी से पर्चे फेंके गये हैं। आज पर्चे तो कल और भी कोई चीज फेंकी जा सकती है। इस पर्चे में लिखा है.....

श्री अध्यक्ष--

म उसको पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं.....

श्री रामकरन (गोरखपुर)--

इसमें लिखा है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)--

इसमें लिखा है चरणसिंह की सरकार.....

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़ दीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी अनुदान यहां पेश हुये सभी में हम लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि प्रदेश की जनता के पेट पर लात मार कर इन मिनिस्टरों ने सारे बजट को लूट लिया है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

दुनिया जानती है कि लुटेरों को सारी दुनिया लुटेरा ही दिखलायी देती है ।

(व्यवधान)

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)--

इन्होंने (श्री कृष्णानन्द राय) भी अपने समय में बहुत चोरी की है ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम ५६ के अन्तर्गत कार्य स्थगन का प्रस्ताव माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय कल्पनाथ सिंह, माननीय सुरेन्द्र विक्रम व हमारे अन्य साथियों ने दिया है । उस प्रश्न के जरिये हमलोग यह साबित करने के लिये तैयार हैं कि हर ग्रांट में सारे प्रदेश की उपेक्षा करके सब मंत्रियों ने सिर्फ अपनी कांस्टीटुएंसी में अधिक से अधिक रुपया लगाने का प्रयास किया है । हमारी प्रार्थना केवल यह है कि श्रीमन्, आप इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और उसके लिये कोई समय निश्चित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

फैसला तो मैं दूंगा, आप मुझे काम नहीं करने देते हैं । मैं ऐक्शन लूंगा, आप कृपा करके बैठें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह के पीछे बैठने वालों को बतला दें कि इनके हल्ला करने का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। मैं कह रहा था कि माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय कल्पनाथ सिंह और माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने आपसे प्रार्थना की तो आपने कह दिया कि सदन छोड़ों, आखिर क्यों सदन छोड़ दें, सदन में हमलोग चुन कर भेजे गये हैं और जनता की बात कहने के लिये आये हैं। जब आपसे कोई प्रार्थना करता है तो आप कह देते हैं कि मैं इंगित कर दूंगा वरना सदन छोड़ दो। ये लूट, चोरी और बेईमानी करते रहें और हमें कहने का अधिकार भी न हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। शाम को यह प्रश्न आयेगा तो आप अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान) आप जब्र नहीं कर सकते हैं, आप कृपा करके बैठें। अगर आप जब्र करते हैं, तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप सदन छोड़ दीजिये कृपा करके। (व्यवधान) अगर आप सदन नहीं छोड़ते तो मैं आपको इंगित करूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपके कहने से मैं सदन छोड़ता हूं लेकिन इस (×××) सरकार से बदला जनता लेकर रहेगी।

(व्यवधान)

(श्री कृष्णानन्द राय सदन छोड़कर चले गये।)

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रमणी—

हमारे साथियों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव इस लिये दिया है कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि सब काम प्लान के मुताबिक हो रहा है लेकिन.....

(व्यवधान)

(×××) श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्रीमन्, मैं आपको बतला दूं कि हमारे पहाड़ी जिलों के लिये लम्बे प्लान के मुताबिक जितनी सड़कें बनने को थीं, उनमें अधिक से अधिक रुपया तिवारी जी ने अपनी कांस्टीटुएंसी में ही खर्च करके सड़कें बनवायी हैं ।

(व्यवधान)

(श्री रामविलास पांडेय के पुनः सदन में आने पर)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, नियम २९९ के अनुसार जिन माननीय सदस्यों को आपने सदन छोड़ने के लिये कहा है वे फिर अन्दर आ गये हैं और इस तरह से उन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जिनको मैंने बाहर जाने को कहा है, वे बाहर चले जायें, वे अब दिन भर नहीं आ सकते ।

श्री इन्द्रमणि—

जो हम लोगों ने नियम ५६ में दिया है, उसका क्या हुआ, पहले आप यह बताइये ?

(व्यवधान)

इस तरह से काम नहीं चलेगा । हमारे साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित करते हैं और इसके बाद जब हम बैठेंगे तो जिन सदस्यों को हटा दिया गया है वे अन्दर नहीं आयेंगे । वे आज दिन भर सदन के अन्दर न आवें क्योंकि यदि आते हैं तो उन पर दूसरी कार्यवाही भी हो सकती है ।

(इस समय १२ बजकर २६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ । १२ बजकर ४१ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने मार्शल द्वारा सदन को सूचित कराया कि सदन १० मिनट तक और स्थगित रहेगा । १२ बजकर ५१ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का छठा प्रतिवेदन†

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

एक सदस्य—

मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या १८ की ओर दिलाना चाहता हूं । कल तो इसके लिये प्राविजनल एजेंडे में आपने मंजूरी दे दी थी लेकिन आज का जो एजेंडा मिला है उसमें इस प्रश्न को हटा दिया गया है ।

† छापा नहीं गया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, कल जो प्राविजनल एजेंडा मिला था उसमें प्रश्न संख्या १८ छपा था तथा उसकी मंजूरी मिली हुई थी लेकिन आज के एजेंडे में आप देखें उसमें लिखा है "पुनर्विचार के पश्चात् निरस्त किया गया" तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

कमरे में आप आ जाइयेगा । मैं वहां बतला दूंगा ।

यूनानी तथा आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ५२ के अन्तर्गत आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के छात्रों की समस्या के ऊपर विचार करने के लिये २ घंटे का समय दिया गया था किन्तु उस दिन आचार्य जी तथा स्वास्थ्य मंत्री ने ही भाषण दिया था कि उसके बाद शोर-शराबे के बीच सदन स्थगित कर दिया गया । आज पहले इस समस्या पर विचार कर लिया जाय तब यह स्वास्थ्य का अनुदान पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले बजट के ऊपर तो चर्चा हो जाय ।

प्रश्नों के समय के उपरान्त ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ लेने की मांग (क्रमागत)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, कुछ अप्रिय घटनायें सदन में हुई । मैंने सदन की ओर से श्रीमन् को बार-बार यह आश्वासन देने की चेष्टा की है कि हम जनतंत्र तथा लोकशाही की परम्पराओं में विश्वास करते हैं । हम किसी हुल्लड़बाजी में अथवा अप्रिय घटनाओं में विश्वास नहीं करते, जिस प्रकार की बातें सदन में आये दिन हुआ करती हैं और इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने चाहा था कि हम अधिक से अधिक वैधानिक ढंग से अपने उस प्रोटेस्ट को विवाद के जरिये से सदन के सामने रख दें ।

जिस दिन से यह बजट यहां पर आया और उस पर विवाद प्रारम्भ हुआ उसी दिन से हमारे माननीय सदस्यों ने यह कहने की चेष्टा की है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय धन यहां पर उपलब्ध हुआ है और जो उसका बंटवारा हुआ है वह अत्यन्त अन्यायपूर्ण है । मान्यवर, हम लोगों ने यह कहने की भी चेष्टा की है कि हम सदन की परम्पराओं में विश्वास करते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल या परसों किसी दिन कुछ आंकड़े और तालिका देने की चेष्टा की है जिसमें यह कहा गया है कि पूर्व के लिये कितना है और पश्चिम के लिये कितना है किन्तु हम दोनों का विरोध करते हैं । मैं साफ कह देना चाहता हूं और मैं इसीलिये यह बात कहना चाहता हूं कि हमने बार-बार यहां पर यह कहा कि केंद्रीय धन का न्यायपूर्ण ढंग से बंटवारा नहीं हुआ है। कोई योजना बदायूं में चली गई उसके लिये आंकड़े दिये गये, कृषि मंत्री ने आंकड़े दिये । हमने तो यह कहा था जिलेवाइज आंकड़े दिये जायं । पूर्व और पश्चिम को देने की बात थी तो केवल मेरठ के न देकर और जिलों के आंकड़े देते ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं और मैंने कल भी यहां पर कहा था कि हम लोग सरकार की कार्यवाहियों से थकते जाते हैं । हमने जो यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव भेजा था वह नियम ५६ के अन्तर्गत लेने के लिये भेजा था । हम लोग ऐसा ख़याल करते थे कि आज १२ बजे के बाद हम इसको उठायेंगे । मान्यवर, आप नियम ३१५ देख लें । यह २८ क्रम में है। लेकिन इस क्रम को आप परिवर्तित कर सकते हैं । आप किसी भी प्रकार से इस क्रम को बदल सकते थे और हम लोगों को उत्तर सरकार की ओर से मिल जाता और यही कह देते कि हम इसका उत्तर जरूर दिलवायेंगे । हम में से प्रत्येक सदस्य संतुष्ट हो जाता । हमको यह रुचिकर नहीं है कि हमारे ये मूल्यवान साथी हमारे मुख्य मंत्री जी के साथ और अलग भी उनके समक्ष मंत्रित्व का कार्य किये हैं । हम बहुत गम्भीरता के साथ अपना प्रोटेस्ट सदन के सामने रखना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि आप कार्य-स्थगन के प्रश्न को नियम ३१५ के अन्तर्गत ले लें । मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि यह अन्यायपूर्ण बंटवारा उन्होंने किस लिये किया है ?

मान्यवर, हमारी जबानें अंग्रेजों की हुकूमत में भी बन्द नहीं हुई थीं और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री हमारी जबान बन्द नहीं कर सकेंगे । यदि आप चाहेंगे कि हम बाहर चले जायं तो हम चले जायेंगे किन्तु यदि आप चाहेंगे कि हम कुछ न बोलें तो आप हमारी जबान बन्द नहीं कर सकेंगे । इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इस प्रस्ताव को नियम ३१५ के अन्तर्गत आप अवश्य लें । मान्यवर, आपको इसका पूर्ण अधिकार है आप इसको ले सकते हैं (व्यवधान) यदि आप ऐसा रुख अपनायेंगे तो सदन में व्यवधान पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष इस बात को जानते हैं । मैं एक बार पुनः आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम सदन की परम्पराओं को गन्दा नहीं होने देंगे । सरकार ने यदि इसे स्वीकार नहीं किया तो प्रदेश इसको बरदाश्त नहीं कर सकेगा ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक आपने यह बात कही कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जाय । कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने शुरू से ही कह दिया था कि जब तक अनुदान ज़ारी हैं, बीच में कोई चीज नहीं आ सकती, सिवाय इसके कि जो प्रोग्राम में हैं, नियमों के अनुसार है। नियमों में विशेषाधिकार का प्रश्न आ जाता है, उसे लिया जा सकता है। अगर मौजूदा कार्यस्थगन प्रस्ताव इस समय लिया जाता है तो अनुदानों पर जो बहस हो रही है, उसको भी दो घंटों के लिये स्थगित करना पड़ेगा । दूसरा तरीका यह हो सकता है, अगर आप समझते हैं कि सदन आपकी बात को मान लेगा तो आप उस नियम को निलंबित करने का प्रस्ताव ला सकते हैं । पहले रूल दूसरा था, अब दूसरा है और उसको बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है । मेरे पीछे ही आप लोगों नें इसको परिवर्तित किया है। अब जो रूल है मुझे उसके हिसाब से ही कार्य करना पड़ेगा । मैं आपसे कहना चहता हूं कि चूंकि कुछ लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं, बैठने को तैयार नहीं होते, बोलते चले जाते हैं । जो प्रोग्राम सदन को चलाने के लिये बनाया गया है, उस प्रोग्रामको इस तरह से अगर रोज न बदलना पड़े तो इसका मतलब है १-४-१० व्यक्ति जो अल्प संख्यक हैं वह अध्यक्ष को डिक्टेट करें और जैसा चाहें अध्यक्ष से करा लें । मैं इस चीज के लिये क्षमा चाहता हूं । मैं समझता हूं कि आप इस कार्यक्रम को चलने दीजिये । मैं उसको बहस के लिये किसी रोज रख दूंगा और मैंने उसको रख भी दिया है। उस दिन आप २ घंटे के बजाय ४ घंटे बहस कर सकते हैं । लेकिन चूंकि आज अनुदान पर बहस होना है इसलिये उन पर बहस शांतिपूर्वक चलने दीजिये, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये । मेरी अन्त में यह आपसे प्रार्थना है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जैसा आपने कहा कि आज एप्रोप्रियेशन बिल पर विचार होना है। इसलिये आप दो घंटे का समय बढ़ा दें । जैसे अब ५ बजे एप्रोप्रियेशन बिल पास होना है वह सात (७) बजे हो जायं और २ घंटा आप इसको दे दें । इससे बजट पर जितनी बहस चलना है वह चल जायगी और यह बजट का ही अंग है । श्रीमन् ने जो कुछ कहा हम लोग उसकी कद्र करते हैं । मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कृपा करके इस विवाद को समाप्त करें और एप्रोप्रियेशन बिल को ७ बजे लेलें । (शोर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं गौर कर सकता हूं । लेकिन इस समय अगर शांति का वातावरण पैदा हो जाता है तो दोनों तरफ के नेताओं से बातचीत की जा सकती है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा एक निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्यों को आपने निष्कासित किया है उनको आने की आप इजाजत दे दें। उससे शांतिपूर्ण वातावरण के स्थापित करने में आसानी होगी। मेरा निश्चित मत है कि उससे शांतिपूर्ण वातावरण पैदा होगा । (शोर) इसका तो मान्यवर आपको अधिकार है। आपने ही उनको हटाया है।

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय नेता विरोधीदल आश्वासन देते हैं कि वे उनको कंट्रोल कर लेंगे ? अगर वे आश्वासन दें तो मैं उनको इजाजत दे सकता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कंट्रोल तो कौन किस पर करेगा । उस दिन ही चौधरी साहब ने एक ओर वोट दिया और श्रीमती चौधरी ने दूसरी ओर वोटिंग किया ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

आश्वासन देने की बात तो उठती नहीं है, क्योंकि न जाने किस समय क्या विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाय । इसलिये माननीय लक्ष्मीरमण जी ने जो सुझाव दिया है कि उनका निष्कासन समाप्त कर दिया जाय । उससे अवश्य ही शांति का वातावरण पैदा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था देना चाहता हूं । बात यह है कि....

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि आपने निर्णय क्या दिया ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय यह दिया कि शांति से बजट का कार्य ४ बजे तक चलता जाय । इस बीच में मैं उठ जाऊंगा । कुछ लोग बातचीत कर लें । अगर आपका सुझाव मंजूर करना होगा तो मैं एनाउन्स कर दूंगा उस वक्त लेकिन इस शर्त पर कि अगर शांति का वातावरण बना रहा और यह काम पूरा हो गया । नेता विरोधी दल और नेता सदन, दोनों बैठ कर इस पर विचार कर लेंगे कि दो घंटे बाद यह चीज ले ली जायगी । यह आपके अधिकार के ऊपर है, मैंने कोई अधिकार थोड़े ही लिया है। मैंने तो यह कहा कि दोनों बैठ कर अगर सहमत हो जाते हैं तो यह चीज हो सकती है। लेकिन वैसे एक पार्टी या दो, चार पार्टियों के, जो कि अल्पमत में हों, डिक्टेशन पर यह काम नहीं हो सकता ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

दस मिनट के लिये हाउस स्थगित कर के तय कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं कर चुका ।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

आपने अभी जो एक आश्वासन दिया था कि जो सदस्य यहां से आपके आदेश का पालन करके बाहर चले गये हैं उनको बुलायेंगे । तो मैं चाहता था कि आप कृपया आदेश दें कि वे सदन में आ कर भाग लें। आज बहुत महत्वपूर्ण बजट का अंतिम दिन है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं ।

श्री रामप्यारे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम २९९ में यह है कि जो सदस्य आपके आदेश से बाहर चले गये हैं वह दिन भर नहीं आयेंगे । लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति आ गयी । आपने इस सदन को स्थगित कर दिया और नियमों में कहीं ऐसी बात नहीं है कि स्थगित करने के बाद कोई सदस्य आ सकेगा या नहीं । और जब आपने पहले आदेश दिया था उसमें यह नहीं कहा था कि वह दिन भर के लिये बाहर रहेंगे । जब आप चलने लगे, आप क्षमा करेंगे, तो एक रोष में आ कर आपने कहा कि जिन सदस्यों को आपने बाहर जाने को कहा है वह दिन भर सदन में नहीं आ सकेंगे । आपका आदेश इतना ही काफी था कि जब वह सदन से बाहर चले गये । आप नाराज हो गये थे कुछ कारणों से और आपने सदन को स्थगित कर दिया । तो आपसे निवेदन है कि आप उन माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत दें । आज बहुत महत्वपूर्ण अंतिम दिन है बजट का । बहुत बातें कहनी हैं । सरकार ने जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है उस पर हाईलाइट करने के लिये आवश्यक है कि हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य यहां मौजूद हों ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार कर लिया था ।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न पहले आता है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् ने कहा कि हाउस से जाकर तय करेंगे कि हाउस ५ बजे के बाद चले या न चले । तो अच्छा यह हो कि पहले वह निर्णय हो जाय जिसकी बिना पर थोड़ी सी गड़बड़ी हाउस में हुई थी । कहीं ऐसा न हो कि कुछ अव्यवस्था पैदा हो जाय । इसलिये मेरा नम्र नवेदन है कि ५–१० मिनट के लिए हाउस को स्थगित कर दें और इस चीज का निर्णय ले लें ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने तो यह निवेदन किया था कि श्रीमान ने जब आज्ञा दी कि शान्तिपूर्वक सदन चले तो हम लोगों ने कहा कि हमारी तो यह निश्चित इच्छा है कि शान्तिपूर्वक चले । श्रीमान ने यह भी कहा कि ४ बजे तक यह निर्णय कर दें कि यह कार्य स्थगन प्रस्ताव पहले ले करके फिर बाद में एप्रोप्रिऐशन बिल लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों को बुला कर।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

तो मैंने तो यह निवेदन किया था कि श्रीमान यदि ऐसा भी करें तो सदन में शान्तिपूर्ण वातावरण के लिये यह आवश्यक है कि जिन चार माननीय सदस्यों को निकल जाने की आज्ञा दी गयी थी उनको सदन में प्रवेश करने की आप आज्ञा जरूर दें जिससे सदन का वातावरण ठीक हो जाय।

मान्यवर, रह गयी बात आश्वासन की। आश्वासन एक बड़ी कठिन चीज है और वह लोग श्रीमन्, काफी विचारवान और गंभीर व्यक्ति हैं सभी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया, वह तो लोक शाही में प्रदेश की, जो माना गया है वह रास्ता अपनाया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि कृपा करके उनको आने की आज्ञा दे दें जिससे कि यहां के वातावरण को हम ठीक कर सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित उपनेता विरोधी दल ने पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार जो सदन में शान्ति पूर्ण कार्य चलाने का आश्वासन दिया उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन जैसे पार्लियामेंटेरियन को आश्वासन देना पड़ रहा है कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से कार्यवाही चलायेंगे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, न मने कोई अशान्ति की और न कोई ऐसा वातावरण बनाया और न आश्वासन दिया। माननीय सदस्य नैनीताल कृपा करक आश्वस्त हो लें कि मैंनें आश्वासन नहीं दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नैनीताल और मथुरा में ज्यादा दूरी नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि मैं उसी पार्लियामेंटरी प्रक्रिया क प्रति जो उनका विश्वास है और शान्तिपूर्ण कार्यवाही के प्रति जो विश्वास है उसको मैं अपील करते हुये यह कहना चाहूंगा कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाने का उनको अधिकार है, लेकिन जिस विषय पर निरन्तर पिछले एक महीने से चर्चा होती रही है, जिसका शंका-समाधान आरोप-प्रत्यारोप होता रहा है नियमों के प्रतिकूल जाकर, उसके संबंध में फिर एप्रोप्रियेशन बिल के समय भी चर्चा हो सकती है और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी चर्चा हो सकती है, तो उसको कार्य स्थगन का प्रस्ताव बनाकर और यह कहकर कि उसको एप्रोप्रियेशन बिल से पहले लिया जाय, नियमों की मर्यादा मैं सर्वथा प्रतिकूल, उनसे आग्रह करूंगा कि उन जैसा पार्लियामेन्टेरियन यदि ऐसी चीज सदन में न रखें तो शोभनीय होगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं क्या कहूं और इसका क्या जवाब दूं ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं आपकी ?

श्री राम प्यारे—

माननीय कृष्णानन्द राय, बंशीधर पांडेय को आप इजाजत दें कि वह कार्यवाही में भाग ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आपने जिन माननीय सदस्यों को सदन में वापस बुलाने के बारे में जो श्रीलक्ष्मी रमण आचार्य से कहा है कि आप आश्वासन दें कि सदन में कोई गड़बड़ी नहीं

करेंगे, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर इस आश्वासन की क्या कोई कीमत है ? इस सदन की मीटिंग में जबकि पिछले दिनो में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया आयुर्वेदिक कालेज के बारे में और आज तक उसे पूरा नहीं किया। तो किस आधार पर आपने उनसे आश्वासन मांगा है ?

दर्शक दीर्घाओं से सदन में पर्चे फेंकने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मेरा तो यह है कि....

(इस समय सामने वाली गैलरियों से कुछ पर्चे फेंके गये और "भारत माता की जय हो" के नारे तथा "हमारी मांगें पूरी हों" के नारे लगाये गये ।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं चाहता हूं कि सब गैलरीज खाली करा ली जांय। सब गैलरीज को खाली करा लीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने व्यवस्था दी गैलरी खाली कराने की । यह तो आपको अधिकार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग निर्दोष हैं, जिन्होंने पर्चे नहीं फेंके वह लोग इस कार्यवाही से क्यों वंचित रहें ? आपका न्याय अगर ऐसा होगा, मैं आपके न्याय को चुनौती नहीं देता, लेकिन अगर ऐसा होगा कि पर्चे फेंकने वाले और न फेंकने वाले दोनों गैलरीज से बाहर निकाले जायेंगे तो मैं नहीं समझता कि जो आज आपने आदेश दिये हैं, जो आपका अधिकार है उसका पालन आप किस प्रकार से ठीक से करा पायेंगे।

श्रीमन् यह एक मौलिक अधिकार है उनका। अगर कोई दोषी है तो आप उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु बड़े सम्मानित नागरिक ऊपर बैठे हैं। तो क्या हर एक को आप भगा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आधे घंटे के लिये सदन स्थगित करता हूं और इस बीच खाली हो जाना चाहिये ।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बज कर ४६ मिनट पर सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५०,४६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनवार अहमद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,९१,०८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हमारा सूबा रकबे और आबादी के हिसाब से एक बड़ा सूबा है। रकबे के हिसाब से यह देश के १/६ भाग के बराबर है और आबादी भी इसकी बहुत ज्यादा है। इस वक्त इतने बड़े रकबे की आबादी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस विभाग पर है। जितना ही अच्छा स्वास्थ्य जनता का होगा उतना ही अधिक वह अपना समय उद्योग धंधे और खेती-बारी के करने में लगा सकेगी और मेहनत कर सकेगी। सरकार हमेशा से इस ओर कोशिश करती चली आ रही है और स्वास्थ्य विभाग की यह कोशिश रही है कि इस प्रदेश में बीमारी न फैले और अधिक से अधिक अस्पताल खोले जायं। मान्यवर, एक हिसाब से हमको जितना रुपया इस विभाग पर खर्च करना चाहिये था हम करने में असमर्थ हैं। हमारे साधन सीमित हैं फिर भी कोशिश यह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जितना रुपया इस विभाग पर खर्चा किया जा सके किया जाय। मान्यवर, आप देखेंगे कि १९४७ में ४१ पैसा फी व्यक्ति खर्चा होता था और सन् १९५१ में ५१ पैसा फी व्यक्ति खर्चा करने के हम योग्य हुए।

प्रश्नों के समय के उपरान्त ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ लेने की मांग (क्रमागत)

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक प्रस्ताव माननीय पाण्डेय जी ने कार्य स्थगन का रखा था, उस पर चर्चा हो रही थी। इधर गैलरी से कुछ पर्चे वगैरह फेंके गये। इस सिलसिले में जो बातचीत हुई उसमें अध्यक्ष जी ने यह कहा कि जब वह यहां से उठेंगे तो नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन दोनों बैठ जायेंगे और जो तय होगा उस पर दो घंटे की चर्चा का समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे पता नहीं, वह भोजन कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस समय विचाराधीन प्रश्न यह है कि जब बजट एलोकेशन किया गया है, उससे मंत्रिमंडल की तंगदिली का इजहार हुआ और....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप भाषण में बता सकते हैं। जिस समय मैं यहां पर आया तो मैंने आगे की कार्यवाही के लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कह दिया कि वे अपना अनुदान रखें, अगर आप उस पर बोलना चाहें तो पहले उन्हें रखने दें। लेकिन जो आप माननीय अध्यक्ष का हवाला दे रहे हैं तो इस समय तो वह यहां हैं नहीं। अगर उन्होंने कहा है समय देने के लिये तो वह अपनी जगह ठीक ही होगा, लेकिन मैं नहीं जानता।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, जब हाउस एडजर्न हुआ था, उस समय माननीय अध्यक्ष के यह आदेश हुये थे कि नेता सदन और मुझको बुलायेंगे और बातचीत करके तय कर लेंगे। मैं अपने कमरे में इस बात के लिये इन्तजार कर रहा था कि ऐसा कोई आदेश आये तो मैं चलूं, लेकिन मैं इंतजार करता रहा, लेकिन कोई संदेशा नहीं आया। इधर जब घंटी बजी तो मैं यहां पर आ गया और बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिला।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, जब यहां पर चर्चा चल रही थी तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यदि सदन में शांति का वातावरण रहे तो अच्छा होगा, निस्संदेह यह तो ठीक ही है कि ऐसा हो। इस सिलसिले में यह चर्चा चल रही थी कि जिन चार साथियों को निष्कासित किया गया था, उनका निष्कासन अब तक ही रहे, बाकी समय के लिये उनको बुला लिया जाय। जब बातचीत चल रही थी और माननीय रियासत हुसैन साहिब कुछ कह रहे हैं, उस समय गैलरी से कुछ पर्चे आ गये और आधा घंटा के लिये सदन एडजर्न हो गया। उस समय उन्होंने कहा था कि वह दो घंटे का समय देंगे जिससे आपस में चर्चा हो जाय और कुछ तय हो जाय। श्रीमन्, अध्यक्ष जी तो भोजन कर रहे हैं और कैसे उनको बुलाया जाय, यह तो असंगत होगा। अब तो आप श्रीमन् पीठासीन हैं। मेरा यह निवेदन है कि कृपा करके इस मसले को तय करा दें जिससे सदन की कार्यवाही चल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उन्होंने, जैसा आप कह रहे है, मंजूर किया होगा तो वह ५ बजे के बाद आयेगा, क्योंकि दिन प्रति दिन का कार्य जो होता है, उस पर पहले विचार किया जायगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अध्यक्ष जी ने यह कहा, तो उसमें हम कैसे पड़ सकते हैं, या तो पहले उन्होंने नहीं किया वह हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने किया। यह भी हो सकता है कि जो स्वास्थ्य का बजट है उस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे और उस पर कटौती का प्रस्ताव भी होगा। अगर आप लोग यह तय करें कि इस पर बहस चलायेंगे और पांच बजे अध्यक्ष जी आपके कथनानुसार आपके पक्ष में कोई निर्णय लें तो ठीक है लेकिन मैं तो जानता नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरी एक संवैधानिक आपत्ति है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो बजट पेश कर रहे हैं इस पर मेरी एक कांस्टीट्यूशनल आपत्ति है। इस लेजिस्लेचर के प्रति कैबिनेट ऐज ए होल रेसपांसिबिल है। स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सदन में दिये हुए एक स्पष्ट आश्वासन की पूर्ति नहीं हो पायी इसलिये मेरी आपत्ति है कि वह "इन परसन" सदन में यह बजट पेश करने के अधिकारी नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी को वह अनुदान पेश करना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्री जी को यह अधिकार नहीं है क्योंकि वह सदन को दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं कर पाये।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुदान संबंधी यह प्रस्ताव उन्होंने रख दिया है और उसके बाद अपना भाषण दे रहे थे। तब आपने यह सवाल उठाया। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी आपको कहना है वह अपने भाषण के बीच में कहें। जहां तक वैधानिकता का सवाल है कि अगर एक मंत्री कोई चीज नहीं रख सकता है तो मुख्य मंत्री कैसे रख सकता है? सम्पूर्ण मंत्रि-परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। आश्वासन पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसके सम्बन्ध में कोई ऐसी संवैधानिक नजीर आप नहीं दे सकेंगे कि न पूरा होने की दशा में किसी मंत्री ने अपना अनुदान न रखा हो। आश्वासन न पूरा किये जाने की दशा में जो उसकी विधिवत् प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत आपको न्याय मिल सकता है।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अभी आपने कहा कि अध्यक्ष जी खाना खा रहे हैं। अध्यक्ष जी यहां से कुछ कह कर चले गये और उसके बाद आप आये और आपने कहा कि अध्यक्ष जी पांच बजे जब आयें तब उस सवाल को उठाइयेगा। प्रश्न यह है कि जिस वक्त यह मामला उठाया गया, ऊपर से कुछ परचे आये और जब परचे आये तो सदन आधा घंटे के लिये स्थगित हो गया और हम इस आश्वासन से उठे कि सदन बैठेगा तो हम लोगों के सामने फैसला आयेगा, जैसे विरोधी दल और नेता सदन से बात करके वह चर्चा चार बजे के पहले या बाद में आयेगी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अध्यक्ष जी ने आपको भेज दिया। तो अध्यक्ष महोदय ने पहले आश्वासन दिया था या सूचना दी थी उसके साथ आपको भेजना चाहिये था। यह नहीं कि बिना उसको बताये ही भेज दिया और कह दिया कि दूसरी कार्यवाही चला दें। तो जिस कार्य को अध्यक्ष जी ने रोका है वह कैसे चलेगा? जब तक यह अध्यक्ष न बतावें या निर्णय न दें तब तक आखिर हम लोग जो यहां बैठे हैं, क्या करें। इस पर कृपया अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ही के कथन के हिसाब से, वह बहस दें या न दें, इसी पर कुछ सोचने की बात अध्यक्ष जी ने कही होगी। तो जो निर्णय वह देंगे, जैसे कि रोज देते हैं, वह पांच बजे आता है। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव भी नियमानुसार बाद में ही आता है। तो अब इसमें क्या अड़चन होगी? अगर बोलने वाले प्रस्तुत मांग पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हों तो उनके लिये सुविधा दे दें। जो फैसला उनको करना है वह अध्यक्ष जी करेंगे। उनका क्या फैसला पक्ष में या विपक्ष में हो वह मैं नहीं जानता।

श्री राम करन ((गोरखपुर)—

मेरा निवेदन यह है कि अगर स्पीकर महोदय उस सवाल को रूल आउट कर दिये होते तो वह बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि नेता सदन और नेता विरोधी दल से बात करके तय करेंगे और बतायेंगे। आप अब ऐसी रूलिंग दे रहे हैं कि यह सवाल ५ बजे के बाद आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या उन्होंने यह कहा कि मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल से बात करके तय करूंगा?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब यहां से अध्यक्ष महोदय गये थे तो यह कह कर गये थे कि ४ बजे दोनों नेताओं से नेता सदन और नेता विरोधी दल से बात करके तय करेंगे। अब नेता विरोधी दल ने तो मना कर दिया कि उनसे बात नहीं हुई। तो क्या नेता सदन से अध्यक्ष महोदय की बात हुई है कि ४ बजे इस प्रस्ताव को लेने वाले हैं? तो नेता सदन भी जानकारी दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जब हाउस में यह व्यवस्था का प्रश्न चल रहा था तो आचार्य जी ने उस समय यह सवाल उठाया था कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को आप इस समय ले सकते हैं। २ घंटे उस पर पहले चर्चा कर लें। २ घंटे उस एप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा कर लें। तब अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह बाद को हो जायगा यानी यह स्वास्थ्य मंत्री की मांग बाद को हो जायगी। उस समय अध्यक्ष ने हाउस को १० मिनट के लिये स्थगित कर दिया। उसके बाद फिर यह बात चली तो

फिर हाउस में परचे गिर गये और अध्यक्ष महोदय ने हाउस को आधा घंटे के लिये स्थगित कर दिया। हमने अध्यक्ष जी से कहा था कि इसका आप फैसला कर दें नहीं तो हाउस चल नहीं पायेगा। उन्होंने भी कहा था कि नेता सदन और नेता विरोधी दल से बात करके तय करूंगा। तब अध्यक्ष महोदय ने हाउस को स्थगित कर दिया। तो तय करने के बाद ही हाउस चलेगा। क्या बिना उस प्रश्न के तय किये हाउस चल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनका निर्णय क्या होगा इसकी मुझे तो जानकारी नहीं है। मैं सदन को इस समय स्थगित भी कर दूं तो यह सवाल फिर ४ बजे उठेगा। इस बीच में स्वास्थ्य की मांगों पर जो बोलने को इच्छुक हैं और उस पर तैयारी करके आये हैं उनको समय नहीं मिलेगा। इस समय उन अनुदानों पर आप विचार कर लें और बाद को उस समय आपकी बात पर विचार हो जायगा। यह आप जानत ही हैं कि इसके बारे में निर्णय हमेशा ५ बज ही होता रहा है।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं ऐसा समझता हूं कि अगर स्वास्थ्य की मांगों पर विचार न भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अगर बाद को "हां" और "नहीं" में फैसला हो जाय तो इसस कोई अन्तर नहीं आता है। सरकार के लिये इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रह गया है कि चाहे जो कुछ हमारी ओर से कहा जाय। सरकार बिलकुल अपनी स्वेच्छाचारिता के बल पर चलाई जा रही है। जो भी वह चाहती है करती है। सरकार की किसी के प्रति भी जबावदेही नहीं है। इसी लिये यह चीज लाई गई है कि यह जो आपका एप्रोप्रियेशन बिल है उसके पहले ही चर्चा हो जाय इस विषय पर जो कि यहां पर इस समय उठाया गया है। आचार्य जी ने भी उस सम्बन्ध में कहा कि बीच में उस विषय पर बहस हो जाय और उसके बाद एप्रोप्रियशन बिल लिया जाय। तो एक तरह से अध्यक्ष महोदय ने इससे अपनी सहमति प्रकट की थी कि २ घंटा बहस हो जाय। ४ घंटा भी हो सकती है अगर नता सदन और नेता विरोधी दल इस पर सहमत हो जायं। तभी इसको बीच में लिया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था। जब आधे घंटे के लिये सदन स्थगित हुआ तो यह आभास हुआ कि नता सदन और नेता विरोधी दल से इस बीच में अध्यक्ष महोदय बातचीत करके इस चीज को तय करेंगे लेकिन अब आप आ गये तो आपने आगे की कार्यवाही शुरू की। उस बात का अब कोई सिलसिला नहीं रह गया।

इस तरह से तो रोज मामला बिगड़ता है, मैं बहुत अदब से साथ निवेदन करूंगा कि मान लीजिये कि नियम ५१–५२ के प्रश्न हम देते हैं और आप कह देते हैं कि अध्यक्ष महोदय को यह शक्ति है और हम ने उस पर अभी विचार नहीं किया है और जब अध्यक्ष जी आते हैं तो सारा मामला खटाई में पड़ जाता है और सारे अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय स्थगित हो जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि सदन का तमाम समय निकल जाता है और बहस अहम मामलों पर नहीं हो पाती है। अब इस तरह का जो सिलसिला चलता रहता है वह असह्य हो गया है। इस लिये मेरा निवेदन है कि जो कार्यवाही आप के आने से पहले यहां हुई उसको आप ध्यान में रखें। हमारा कहना है कि जब मुख्य मंत्री जी के छपरौली क्षेत्र में.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप ने प्रश्न उठाया है .....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब हम देखते है कि हर चीज में जो सचमुच पिछड़े जिले है वह गायब रखे जाते हैं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप यह अधिकार दूसरे माननीय सदस्यों को देना चाहते हैं कि इस पर बहस चले, आप तो चाहते हैं कि बहस ही न हो और आप की ही राय के विरोधी दल के लोग हो जायंगे तो सदन को स्थगित करना पड़ेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बहस तो हम चाहते हैं लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल जब खत्म हो जाय. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इस बीच में अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया होगा और उनका कोई निर्णय आ जायगा तो मैं वह सुना दूंगा, अगर वह अभी नहीं है तो जो कार्यक्रम चल रहा है वह चलेगा ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप से बहुत ही विनम्र निवेदन करना है कि आप यह देखें कि आप का सदन में इस समय पदार्पण किन परिस्थितियों में हुआ । यह ठीक है कि जैसा क्रम होता है उसके कार्यान्वियन का कार्य आप के सुपुर्द है । लेकिन यहां आधा घंटे को सदन स्थगित हुआ और आप को यह देखना चाहिये कि यह स्थगन किन परिस्थितियों में हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो ऊपर से पर्चे आये और अध्यक्ष महोदय ने गैलरी खाली कराने के लिये स्थगन किया था ।

श्री राम कुमार शास्त्री—

उस समय जो प्रश्न विचाराधीन था वह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, उस वक्त ऐसी परिस्थिति हो गई थी और यह तय हुआ था कि शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यवाही चल सके इस वास्तेनता सदन और नेता विरोधी दल के बीच बैठ कर वार्तालाप हो जाय, यह बात उठने से पहले हुई थी और अब आप आ गये, अब मालूम नहीं कि . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह तय होता तो मैं वही करता, यह तय नहीं हुआ . . . . .

श्री रामकुमार शास्त्री—

तो यह मामला अन्डर कन्सीडरेशन था और इसी बीच में ऐसा वातावरण आ गया कि ऊपर से पर्चे आ गये और उस संदर्भ में सदन का सारा वातावरण क्षुब्ध हो गया । मैं तो आप से विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि आप तो सक्षम हैं, आप ही बतायें कि हम कौन सा रास्ता पकड़ें । उन्होंने अनुदान पेश किया है वह पेश करें, ठीक है लेकिन जो चीज अन्डर कन्सीडरेशन है वह तो पहले तय होनी चाहिये । आप को स्वयं श्रीमन यह सोचना चाहिये कि जो चीज विचार के अन्तर्गत चल रही है उस पर पहले निर्णय हो जाय उसके बाद यह बजट चले । इन तमाम चीजों को बैकग्राउन्ड में रख कर आप यहां की कार्यवाही का संचालन करें, आप सक्षम हैं और आप को इस चीज पर विचार करना चाहिये । ऐसी विषम परिस्थिति में यह बहुत महत्व का और सदन की भावनाओं का प्रश्न है । हम आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं क्योंकि आप की जो संचालन शैली कार्य की है वह दूसरी प्रकार की है, ऐसे अहम मसलों पर जब कोई उचित निर्णय नहीं मिलता तो हम किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो जाते हैं । हम आप को रुष्ट करके भी काम नहीं कराना चाहते । हम कवल इतना ही चाहते हैं कि जो विषय विचाराधीन है उसकी कान्टीनुइटी ब्रेक नहीं होना चाहिये और जो कान्टीनुइटी ब्रेक हो रही है वह कन्टीन्यू रहे ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

उपाध्यक्ष महोदय, सब चीज आप के सामने आ गई और यह बात भी आ गई कि माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि ४ बजे कार्य स्थगन प्रस्ताव ले लेंगे और उन्होंने इस सम्बन्ध में यह भी कहा था कि नेता सदन व नेता विरोधी दल बैठ कर कुछ बात भी कर लेंगे, ऐसी बात आई। लेकिन जैसा मैंने उस समय भी निवेदन किया था, जो हमारे ४ सदस्य निष्कासित किये गये थे, उनको बुला लिया जाय, उस पर विचार हो रहा था और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष आज्ञा ही देने वाले थे कि दर्शक दीर्घाओं से पर्चे गिराये गये। इस लिये जब वे ४ बजे आयेंगे तो निर्णय कर सकते हैं। तो मेरी राय है कि इन चारों साथियों को भी बुला लिया जाय ताकि जब वे ४ बजे आ जायं तो शेष कार्यवाही आगे चले।

श्री उपाध्यक्ष---

तो आपकी सहमति है कि हम आगे बढ़ें ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

मेरी प्रार्थना है कि जो वे ४ आदमी हैं, उनको बुला लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय वित्त मंत्री जी बोलें।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि आखिर उनको क्या आपत्ति है कि इस तरह की बहस हो जाय ?

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे बतायें कि वे क्या प्रस्ताव रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव कभी नहीं आया होगा। स्वास्थ्य मंत्री सम्बन्धी अनुदान स्वास्थ्य मंत्री जी प्रस्तुत कर चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग के बारे में, जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, मुझे आशा है माननीय सदस्य अपने जो सुझाव देंगे, उन पर सरकार विचार करेगी। इसके बाद श्रीमन्, जो अध्यक्ष जी ने कहा कि जब वे आयेंगे, उस पर कार्यवाही करेंगे।

*श्री अनन्तराम जायसवाल---

यहां पर इस सदन में मंत्रिमंडल के पूरे सदस्य पर हर प्रकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग के समालोचक जो हैं, उनके पहले से मुस्तैद हैं और पहले से गड़बड़ी है और इस प्रश्न को लेकर चयन रोक दिया है। वही चीज दुबारा इस हाउस में बार-बार लायी जा रही है। इस गलत निर्णय की वकालत आप कर रहे हैं। तो यहां पर जिन सुझावों की दुहाई दी जा रही है, हर विभाग की त्रुटियां आपको बतायी गयी हैं, आपका कोई विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें लाखों करोड़ों रुपये का अपव्यय न होता हो, लेकिन इन सुझावों के बावजूद आपका ध्यान कभी भी उसकी ओर नहीं जाता। आपको दौरों से शिलान्यासों से, ही छुट्टी नहीं है। क्या कभी आप दफतरों में बैठते है और परसू करते हैं। अगर ऐसा करते तो आज प्रदेश की यह दुर्दशा न होती। शुक्ला जी के बारे में यहां पर ही कहा गया है कि उनको जनरल डायरेक्टर बना दिया गया है। आपने क्या किया है ? ये सारी चीजें आपके समय में हो रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

जिस चीज की आड़ में आप हाउस को चलाना चाहते है तो चलायें, या न चलायें, उसम कोई फायदा नहीं है। "हां" में या "ना" में पास कर दें लेकिन असली चीज यह है कि (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने बजट के एलोकेशन, इस प्रान्त में, इस प्रदेश में..... (व्यवधान)। तो मैं जिक्र करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को साढ़े ३ बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय २ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बज कर ३० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

दर्शक दीर्घाओं में कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति पर आपत्ति

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, आपने दर्शक दीर्घा खाली कराया था लेकिन अभी भी सी० आई० डी० के लोग गैलरी में बैठे हुये हैं। क्या गुप्तचर विभाग के लोग वहां बैठ कर सदन की कार्यवाही देख रहे हैं कि विधान सभा के सदस्य क्या कार्य कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

सचिवालय के लोगों के अतिरिक्त कोई नहीं बैठ सकता है।

श्री कृष्णस्वरूप--

ऊपर की गैलरी में क्या सचिवालय के कर्मचारी हैं?

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर गुप्तचर विभाग के लोग वहां बैठने लगे तो यह एक बड़ी गलत परम्परा होगी। जनता के प्रतिनिधियों की बात वह जनता को तो सुनने नहीं देना चाहती और अपने आदमियों को सरकार ने बैठा लिया है।

श्रीमन्, मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आपने शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सदन के अन्दर दर्शक दीर्घा को खाली कराया और जनता के प्रतिनिधियों को बाहर कर दिया लकिन अपने आदमियों को सरकार वहां बैठाये रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी परम्परा नहीं है, इस लिये आप कृपया फौरन दर्शक दीर्घा को खाली करा दें।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, ऐसा है कि पिछली बार जब हाउस में एक बार पुलिस बुलाई गई थी तो आपको स्मरण होगा कि माननीय नेता सदन जो उस समय विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने उस मौके पर यह कहा था कि किसी भी परिस्थिति में हाउस में पुलिस न आवे। मान्यवर, सी० आई० डी० भी पुलिस का ही एक अंग है। आप देखें कि जब आपका आदेश हो गया था कि दर्शक दीर्घा में कोई नहीं रह सकेगा तो क्या कारण है कि सी० आई० डी० के लोग वहां बैठे हुये हैं? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान) दूसरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष--

एक एक करके जो आपने प्रश्न उठाया है कि पुलिस यहां नहीं आनी चाहिये तो वे पुलिस के आदमी नहीं हैं। विधान सभा सचिवालय और सरकारी सचिवालय के लोग ही यहां रह सकते हैं। वे अपने कर्त्तव्य के निमित्त यहां आते हैं इसलिये वे रह सकते हैं और बाकी दर्शक दीर्घा खाली है।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे--

श्रीमन्, सदन के कार्य से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वे सी० आई० डी० के लोग हैं। निश्चित रूप से वे आपके कार्यालय के आदमी नहीं हैं और किसी भी परिस्थिति में वे हाउस के अंग नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वे पुलिस के आदमी नहीं हैं।

श्री राम प्यारे--

नीचे की गैलरी में कुछ लोग बैठे हुये हैं। (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

ऊपर बैठे हुये हैं और नीचे भी बैठे हुये हैं। जो ऊपर बैठे हुये हैं उनका सचिवालय से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री राम प्यारे--

किस आधार पर वे लोग वहां बैठे हुये हैं और उनको किसने प्रवेश-पत्र दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दी है कि वे रह सकते हैं। वे उसी आदेश के अन्तर्गत वहां रह सकते हैं जिसके अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने गैलरी से दर्शकों को बाहर जाने का हुक्म दिया है।

सदन से कुछ सदस्यों के निष्कासन संबंधी आदेश को वापस लेने की मांग

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, जिस समय आधे घंटे के लिये सदन उठा था, साढ़े ३ बजे तक के लिये तो उस समय प्रश्न विचाराधीन था कि जिन ४ माननीय सदस्यों को निष्कासित किया गया था, उनको सदन में शान्ति बनाये रखने और सदन में सद्भावना स्थापित करने के लिये, इस सदन के शेष कार्यकाल के लिये बुला लिया जाय। मैंने श्रीमन् से इसका निवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सदन दुबारा मिलेगा, उस पर श्रीमान जी अपनी व्यवस्था दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियम २९९ देखें। सदन में शान्ति और व्यवस्था--अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित करेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये, वह तत्काल सभा-मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के

[श्री उपाध्यक्ष--]

उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे। यह स्थिति है। तो मुझे अब आप नियम बतायें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

नियम ३१३ आप पढ़ लें, उसमें इसकी व्यवस्था है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो नियम आपने पढ़ा है, उसके नीचे देखें उसमें है कि यदि प्रस्ताव सदन का आ जाये तो सदन सजा को समाप्त कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

निलम्बन नहीं है उनका, आचार्य जी ने जैसा कहा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं एक सैद्धान्तिक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक आदेश अध्यक्ष महोदय ने दिया तो कोई दुनिया का नियम ऐसा नहीं है, कोई जूरिसप्रूडेंस नहीं है कि जो आदेश आपने दिया है उस आदेश को आप वापस न ले सकें। ऐसा आदेश जो साधारण प्रकार का है, जिसके अन्तर्गत कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है, बिना किसी नियम की चर्चा के हो जाना चाहिये। यह तो ऐसा आदेश था जिसके अन्तर्गत बाहर जाने को कह दिया गया, अब उनको आ जाना चाहिये, इसके लिये किसी नियम की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कहा कि नियम देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी दृष्टि से ऐसा ठीक हो, लेकिन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही का सुझाव ही, ज्यादा श्रेयस्कर है।

जिसका जिक्र किया गया--अवशिष्ट शक्तियां--उसमें है "ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।"

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, आप सर्वशक्ति सम्पन्न हैं, आप जो निर्देश देंगे हो जायगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर नियम ३१३ का हवाला दिया गया है, उसके अन्तर्गत आप सदन के सर्व शक्तिमान अध्येता हैं, ४ सदस्यों का आपने जो निलम्बन किया, आपने देखा उन्होंने अपनी जायज मांग को उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में ही आप कहें।

श्री धर्मवीर--

उस संबंध में मुझे यह कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी सहायता करें और नियमों के अन्तर्गत ही सुझाव दें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मैं नियम २९९ पढ़ रहा था, जिसमें है कि "सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सभा मंडप से चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे"। इसके अनुसार अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया था कि ४ सदस्य सदन से बाहर चले जावें। वह हो गया, ठीक है। लकिन अब यह कहीं नियमों में नहीं है कि अध्यक्ष ने जो आज्ञा दे दी उसको यदि वह वापस लेना चाहें तो नहीं ले सकते। मैं आपका ध्यान ३१३ की ओर दिलाना चाहता हूं। आज सदन ३ बार एडजर्न हुआ एक बार १५ मिनट के लिये, एक बार १० मिनट के लिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न केवल इतना है जो बाहर चले गये हैं, वे आ सकते हैं?

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मेरे कहने का आशय यह है कि जब एक बार उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया, उसके उपरान्त भी दो बार आपको सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस लिये मैं चाहूंगा कि आप आदेश दें ताकि वे आ जायं और सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, जो यह कार्यवाही हुई, वह जो नियम २९९ में दिया हुआ है, उसके अनुसार हुई है। यह नियम ३१३ जब लागू होता है जब स्पेस्फिकली किसी नियम में न दिया हो। २९९ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और वह कार्यवाही नियमानुकूल है। इसलिये उसके बारे में यह नियम ३१३ नहीं लागू किया जा सकता है। यह लाया जाना ठीक नहीं है, जिस चीज का प्राविधान नहीं है, उसके लिये नियम ३१३ है। जो नियम बने हैं उसके अनुसार आप सदन चलायेंगे तभी सदन की कार्यवाही चल सकेगी। इसलिये यह कार्यवाही नियमानुकूल है और इस पर ३१३ लागू नहीं होता है।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

यह जो चार आदमियों के लिये अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि आपने सदन चलाने के लिये एक मेम्बर से कहा कि वह बाहर चला जाये और चूंकि आपका आदेश है वह चला गया। अब हम लोगों की इच्छा और निवेदन है कि आप फिर उनको हाउस में बुला लें। इसमें न कहीं नियम आता है न अन्य कोई बाधा। यह तो केवल सिम्पिल निवेदन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं आपका ध्यान नियम २९९-३ (घ) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं—उसके परन्तुक को आप देखें—परन्तु अध्यक्ष किसी निलम्बित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिये आने की अनुमति दे सकेंगे। इससे यह प्रकट है कि अध्यक्ष को अधिकार है कि उनको निकालने के बाद वापस लेने का भी अधिकार है। यह उनके अधिकार में है कि वह अन्दर आने की अनुमति दे सकेंगे। और जो मैंने पढ़ा ऐसी प्रार्थना करने के बाद श्रीमन्, आप दुबारा आज्ञा दे सकते हैं कि वह हाउस में विशेष प्रयोजन के लिये....

श्री उपाध्यक्ष—

यह समीचीन और संगत नहीं है। इसे आप स्वयं पढ़ लें ध्यान से जो उदाहरण आप दे रहे हैं, इसे यदि माना भी जाये तो भी यह आपकी सहायता यहां पर नहीं कर सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

२९९ में आपको यह शक्ति मिली है। आपको यह शक्ति है कि कोई सदस्य अव्यवस्था उत्पन्न करता हो या उसका कार्य अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो तो उसको तुरन्त बाहर जाने की आज्ञा दे सकते हैं। तो इसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि जिस चीज को आप दे सकते हैं उसको वापस भी ले सकते हैं। यह नियमानुकूल शक्तियां हैं और यदि वापस लेने की शक्ति न हो तो वह नियम पूरा नहीं होगा। हमेशा यह किया गया, मान लीजिये, कहीं-कहीं पर ऐसे अधिनियम मिलेंगे कि नियुक्ति अधिकारी किसी को नियुक्त करता है लेकिन साफ-साफ नहीं दिया है कि इसको निकाल सकता है तीन या चार साल के पहले। लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने होल्ड किया है कि उससे जुड़ा हुआ है कि जो नियुक्ति कर सकता है वह निकाल भी सकता है। इसी तरह से इस नियम को भी इंटरप्रेट करेंगे। अगर निकालने की शक्ति है तो उसी से जुड़ी हुई शक्ति है वापस बुलाने की। इसीलिये ३१३ में व्यवस्था की गयी है, आपका इनहेरेंट पावर है। उनको उपयोग करके आप संबंधित सदस्यों को वापस बुला सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मुझे स्वयं इस बात का खेद है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं जिनके आधार पर माननीय अध्यक्ष को नियम २९९ के उपनियम (१) के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ी। मैं श्रीमन् का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (१६ वां एडिशन) के पेज ३८० की ओर दिलाना चाहूंगा। सदन में सामान्य व्यवस्था कायम रहे ताकि सदन की कार्यवाही चल सकें....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, वह हमारे नियमों में दिया हुआ है। उससे जुड़ी हुई ही यह शक्ति है आपकी, जिस शक्ति से किसी सदस्य को बाहर निकाल सकते हैं उसी शक्ति से उसको अन्दर बुला सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

"Other privileges, the enforcement of which is regulated in part by standing orders, are dealt with as so provided."

यानी जो विशेषाधिकार हैं सदन का, सदन की कार्यवाही चले, इसके सम्बन्ध में जो स्टैंडिंग आर्डर्स हैं उनके अनुसार कार्य होता है।

"For instance, breaches of orders in the House are dealt with and punished, if necessary, as they arise."

यानी हाउस की अव्यवस्था के सम्बन्ध में जो उल्लंघन होता है उसमें स्टैंडिंग आर्डर्स के अन्तर्गत पनिशमेंट दी जाती है। तो जो स्टैंडिंग आर्डर्स में व्यवस्था है वह पनिशमेंट के रूप में है। और उस पनिशमेंट को इस सदन की जो मर्यादाएं हैं, उनके अनुसार स्वीकार करना ही पड़ेगा चाहे कष्ट और तकलीफ से हो। मैं आग्रह करूंगा कि जो विवाद है इस को समाप्त किया जाय और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आयव्ययक पर जो मांगों के लिये नियम १८८ (३) के अन्तर्गत नियत दिन हैं, उसी दिन अगर उसे नहीं लिया जायगा--और इस समय स्वास्थ्य विभाग का अनुदान सामने है, यह कार्य प्राथमिकता दे कर लिया गया है जो चूंकि आयव्ययक से संबंधित है। इस सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि कौन-सा विषय इस समय है जिस पर विवाद हो रहा है। यह बिलकुल पार्लियामेंटरी पद्धति के विपरीत है। जो स्वास्थ्य विभाग का अनुदान प्रस्तुत है उस पर विचार होना चाहिये और सदन की कार्यवाही चलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अपनी जगह पर है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर सदन ने किसी को सजा दी तो फिर सदन को क्षमता प्राप्त है कि सजा को हटाये। अगर अध्यक्ष ने किसी को बाहर निकालने के आदेश दिये तो वह उसको बुला सकते हैं या नहीं? इस पर आपने कुछ नहीं कहा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

प्रक्रिया के सम्बन्ध में चाहे अदालत क अन्दर हो या सदन के सम्बन्ध में हो हर प्रक्रिया नियमावली में एक दफा होती है जिसमें कुछ इनहेरेंट पावर्स दे दी जाती हैं। अगर जाब्ता फौजदारी या दीवानी देखें तो उसमें अदालतों को कुछ इनहेरेंट पावर्स होती हैं।

इस नियमावली के अन्दर कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी आपको दी गयी हैं। यह सही है कि नियम २९९ के अन्तर्गत यदि सदस्य को बाहर जाने के लिये अध्यक्ष द्वारा आज्ञा दी जाती है तो वह बाहर चला जायगा लेकिन यह भी उसके अन्दर है कि वह इस दिन के उपवेशन तक वापस नहीं आयेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि अध्यक्ष महोदय को यह शक्ति तो दी गयी हो कि वह किसी सदस्य को बाहर जाने की तो कह दें लेकिन यह शक्ति न हो कि जिसको वह बाहर जाने के कहें उसे वापस न बुला सकें। चूंकि इस संबंध में नियम खामोश हैं इसीलिये नियम ३१३ लागू होता है जो इस प्रकार है,—"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।" तो ३१३ वहीं पर आता है जहां पर आपको यह कठिनाई होती हो कि आपके सामने इन नियमों में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ३१३ के अन्तर्गत इन्हेरेंन्ट पावर्स स्पीकर महोदय को दी गयी हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है। २९९ के अन्तर्गत पीठासीन अध्यक्ष को यह अधिकार है कि जो सदस्य बहुत अशांति अथवा अव्यवस्था सदन के अन्दर पैदा करे उसे वह सदन से बाहर निकाल दें और सदन के बाहर निकालने का अर्थ यह है कि दिन भर के लिये वह निकाल दिया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या इन नियमों में कोई ऐसा नियम है कि अध्यक्ष महोदय अपने दिये हुए दंड को वापस ले सकें या अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकें। जैसा हमारे मित्र जायसवाल जी ने कहा था यह निश्चित है कि जो दंड दे सकता है वह दंड को निरस्त भी कर सकता है। यह स्वाभाविक अधिकार है जो होना चाहिये। उसका कहीं इसमें जिक्र नहीं है तो वह विशिष्ट अधिकारों में आता है जिसे अंग्रेजी में रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। इसलिये श्रीमन् को पूर्ण अधिकार है। मुझे दुख है कि सरकार को जिसे उदार होना चाहिये उसने उसका विरोध किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम की स्थिति ही समझना चाहता था। पक्ष अथवा विपक्ष का प्रश्न नहीं है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, नियम इसलिये बने हुए हैं कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार सुचारु रूप से चले और नियमों के अन्तर्गत ही हम सदन में कार्य करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन व आप सर्वशक्तिमान हैं। आप माननीय सदस्यों के सुझाव को स्वीकार कर के सुचारु रूप से चलायें।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ था माननीय आचार्य जी ने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि जिन पर चार माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदय ने निष्कासित किया है उनको सदन में पुनः आने की इजाजत दे दी जाय। उस समय अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और उन्होंने आचार्य जी से यह कहा था कि अगर आचार्य जी जो उपनेता, विरोधी दल हैं, सदन को यह आश्वासन दें कि वे चारों सदस्य सदन में आ कर शांति और व्यवस्था कायम रखेंगे तो उनकी निषेधाज्ञा वापस लेने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आचार्य जी ने कोई स्पष्ट

[श्री कृष्णचन्द्र]—

आश्वासन नहीं दिया वर्ना अध्यक्ष महोदय उसी समय यह निषेधाज्ञा वापस ले लेते। आचार्य जी को वह ऑफर अब भी है कि वह सदन को आश्वासन दें कि शांति और व्यवस्था कायम रहेगी तो उन चारों सदस्यों को आने दिया जा सकता है । दूसरा निवेदन यह है कि स्वास्थ्य के अनुदान पर चर्चा चल रही थी, उसको जारी रखा जाय ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह वाद-विवाद समाप्त करके प्रस्तुत अनुदान पर वादविवाद जारी कराया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी ने नियम २९९ की स्थिति प्रसंदिग्ध रूप में बतायी लेकिन नियम २९९ तो असंदिग्ध है ही । २९९ नियम के अन्तर्गत उसके आक्षेपों को पूरा करने के बाद और सजा मिलने के उपरान्त अगर कोई चीज इस किताब में नहीं है तो क्या अध्यक्ष इसके बारे में व्यवस्था दे सकते हैं या नहीं । तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आज माननीय नेता विरोधी दल ने यह अनुरोध किया है कि जिन सदस्यों को आज सुबह सदन में अव्यवस्था पैदा करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण माननीय अध्यक्ष ने नियम २९९ के अन्तर्गत सदन छोड़ने के आदेश दिये थे, उनको सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने की पुनः अनुमति दी जाय और माननीय अध्यक्ष अपने सुबह के आदेशों को वापस लेने की कृपा करें ।

नियमों में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि इस प्रकार आदेशों को वापस लिया जा सके, लेकिन फिर भी नियम ३१३ के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी में वह सब अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, जिनकी इन नियमों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि उन माननीय सदस्यों को सदन में आने की अनुज्ञा दे दी जाय । यह मैं इस आज्ञा से कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि वे सदस्य सदन में आकर कोई पुनः अव्यवस्था नहीं करेंगे और कार्य के संचालन में सहयोग देंगे तथा कार्यसूची में दिये हुये कार्यों के सम्पादन में बाधा नहीं डालेंगे ।

१९७०—७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य—(क्रमागत)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनवार अहमद)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने डिमांड पेश की है उसको पास किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या पास किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन में इसीलिये आया था और मैंने माननीय मंत्री जी को बुलाया था । उन्होंने पहला अनुदान पढ़ा, उन्होंने दूसरा अनुदान पढ़ा कोई अवज्ञा नहीं की गई या कोई व्यवधान नहीं किया गया इसलिये मैं इस अनुदान पर वोट ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ..... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रस्ताव सुन लीजिये कटौती के प्रस्ताव में चर्चा का समय आप दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कटौती के प्रस्ताव का कोई प्रश्न सदन के समक्ष नहीं है। आप कृपा करके बैठें।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९ चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५०,४६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०-सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,९१,०८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कटौती के प्रस्ताव लिये बिना अनुदानों पर मतदान कराने पर आपत्ति

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपने मुझे व्यवस्था का सवाल उपस्थित करने की आज्ञा दी है। यह ठीक है कि आज अनुदानों को पास होना था और वह पास भी हो गये। श्रीमन्, मैं आप जैसे पीठासीन माननीय सदस्य से यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा संभव है कि एक अनुदान पेश हो उसके ऊपर एक कटौती का प्रस्ताव भी लाया गया हो, कटौती का प्रस्ताव कार्यसूची के अन्दर आ गया हो, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये भी माननीय सदस्य खड़े हों, लेकिन उनको कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने दिया जाय और उस पर मतदान हुये बिना ही अनुदान पर मतदान हो जाय। क्या इस प्रकार की बात जनतंत्र में उचित है? मेरा कहना यह है कि यह चीज नियम विरुद्ध है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आज की कार्यसूची में एक कटौती का प्रस्ताव मौजूद है। उसको पेश करने वाले भी खड़े हुये लेकिन वह पेश नहीं हो पाया। अगर आपने नियम को सस्पेंड कर दिया होता तब तो दूसरी बात थी लेकिन बिना उसको सस्पेंड किये हुए आपने कटौती का प्रस्ताव न लेकर अनुदान पर मतदान करा दिया। ऐसा नियमों के अनुसार नहीं हो सकता है। यह मेरी आपत्ति है इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के विनिश्चयों का कार्यान्वित किया जाना पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य होता है। मैं आपको याद दिलाऊं। १३ मई, १९७० को यह लिखा हुआ है कि कार्य–मंत्रणा समिति ने यह पास किया था कि २३ जून, १९७०को सायंकाल ४ बजे से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण हो। उसके पूर्व ही यह अनुदान पास होने चाहिये थे। उनके बाद इसको लिया जाना था, चार बजे। मैंने तो कोशिश की कि सब काम ठीक प्रकार से हो जाय। लेकिन किसी ने उस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की संशोधन नहीं रखा और माननीय जायसवाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि आप इस पर वैसे ही वोट ले लीजिये। जब विरोधी पक्ष की ओर से ही ऐसी बात आयी, इसको चार बजे पेश होना था और ५ बजे तक पास होना। इसलिये मैंने इसको ले लिया। और अनुदानों पर वोट ले लिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर जायसवाल साहब ने कोई नियम के विरुद्ध बात कह दी तो उससे क्या होता है...

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, वैसे आज का दिन ....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

चूंकि आपने मेरा हवाला दिया इसलिये मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इनके बाद कहिये।

कटौती के प्रस्ताव लिये बिना अनुदानों पर मतदान कराने पर आपत्ति— (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

फिर तो वक्त निकल जायेगा । मैंने यही निवेदन किया था कि अब विधान सभा की यह स्थिति हो गयी है कि यहां पर चाहे जो विचार किया जाय, चाहे जो बहस की जाय, चाहे जो प्रश्न उठाये जायें लेकिन सरकार के लिये उनका कोई महत्व नहीं रहता, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इसके साथ हमने कहा था कि ऐसी दशा में आप किसी विषय पर चर्चा करायें या न करायें उसका कोई महत्व नहीं होता । लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि इस पर चर्चा ही न कराई जाय । और इसके साथ एक प्रश्न यह जुड़ा हुआ है कि बजट का कोई अनुदान आयेगा तो सदस्यों का अधिकार है उस पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने का । कटौती नीति की होती है, बचत की होती है, कई तरह की होती है और उस पर वह अपनी राय जाहिर कर सकते हैं । मतलब उसका यह होता है कि शायद गवर्नमेंट उससे सुधरे । यह दूसरी बात है कि सरकार उससे न सुधरे । इसलिये मैंने वह कहा था । और आज आप चाहे ५ मिनट का, चाहे १० मिनट का, चाहे १५ मिनट का ही समय दे देते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह समय के अन्दर ही पास हो जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रक्रिया नियमावली का नियम १८८—मांगों पर मतदान—इसका उपनियम (७) इस प्रकार है :—

"उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत दिनों के अंतिम दिन उपवेशन की साधारण समाप्ति के लगभग आधा घंटा पूर्व अध्यक्ष अनुदानों के लिये मांगों के संबंध में अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के निमित्त प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे और इस प्रक्रिया में कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, न किसी प्रकार की बाधा ही डाली जायेगी और न उसके संबंध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायेगा ।"

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सारी बातें शिरोधार्य हैं लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि "आधा घंटा पहले" । वैसे ५ बजे लिया जाता था लेकिन आज ४ बजे रखा गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने ४ बजे का किया था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके अतिरिक्त इससे पहले जो प्रश्न उठाया गया कि जिन सम्मानित सदस्यों को बाहर जाने का आर्डर किया गया था वह वापस आयें या न आयें उस बहस को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया जबकि आपकी लिखित व्यवस्था पहले से मौजूद थी जैसा कि आपने पढ़कर सुनाया । तो उस बहस को रोका जा सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरी चीज है । हम भी रोक सकते थे और आप भी समय दे देते तो बीच में कटौती का प्रस्ताव आ सकता था । अब इस समय जो विनियोग विधेयक है इस पर विचार करिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसा किसी भी सम्मानित सदस्य को जिसका जनतंत्र में विश्वास है बरदाश्त नहीं करना चाहिये और इसके विरोध स्वरूप मैं और मेरा दल दस मिनट के लिये सदन छोड़ता है ।

(इसके पश्चात् श्री अनन्तराम जायसवाल अपने दल सहित सदन को त्याग कर चले गये ।)

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, चिकित्सा के अनुदान पर मुझे कट मोशन मूव करना था और मैं आज सुबह से बहुत ही सतर्क था कि आप ज्यों ही मुझे आज्ञा देंगे मैं कट मोशन मूव कर दूंगा । लेकिन इधर से कुछ हल्ला हुआ । हम चाहते थे कि यह हल्ला आप शांत करायें और हम लोग इस अनुदान पर कट मोशन मूव कर के इस विषय में अपनी आलोचना प्रस्तुत करें । लेकिन आपने दिन में दो बार सदन को स्थगित कर दिया । उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं । जैसा माननीय जायसवाल जी ने कहा, कट मोशन के लिये आप १० या ५ मिनट का समय दे सकते थे और समय ४ बजे के बाद फिर बढ़ाया जा सकता था । लेकिन जिस प्रक्रिया को आपने अपनाया है वह जनतंत्र के विरुद्ध थी और मुझे बहुत दुःख है कि इस प्रकार उसे अपनाया गया । इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री श्यामसूरत उपाध्याय सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर किसी को १० नम्बर की कार्यसूची के विषय में कुछ कहना है तो कहें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक जानकारी मैं चाहता था कुछ कहने के पहले एप्रोप्रिएशन बिल पर। अभी जो स्वास्थ्य विभाग के अनुदान पर प्रक्रिया आपने अपनाई और जिस समय आपने यह व्यवस्था दी कि कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या आपने जब मंत्री महोदय ने अपना अनुदान पेश किया था उसके बाद कटौती के प्रस्तावक को बुलाया या नहीं ? इतना केवल जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री बोल रहे थे । उसके बीच में जब व्यवधान हुआ तो मैंने बीच में कहा कि मैं इसलिये सदन चलाना चाहता हूं कि जिन को समय नहीं मिला है इस पर कटौती का प्रस्ताव और भाषण दें । उस पर नहीं ध्यान दिया गया । तो मुझ को स्थगित करना पड़ा । अव्यवस्था थी । अगर अव्यवस्था रहे और असंगत बातें कही जायें, जो कार्यसूची में हो नहीं वह अगर सामने आवे . . .

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मैंने जानकारी के लिये चाहा था कि आपने उस हंगामे के अन्दर जब मंत्री जी अपनी अनुदान पेश कर रहे थे और किया, उस समय कटौती के प्रस्तावक को पुकारा या नहीं कि अब कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय इस प्रकार का आह्वान हुआ या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नाम नहीं पुकारा क्योंकि वह स्टेज था ही नहीं, क्योंकि मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने खत्म नहीं किया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

उपाध्यक्ष महोदय, एक फिर प्रश्न यह उठता है कि जब आपने कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारा नहीं . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव मेरे सामने था नहीं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

जो चीजें एजेंडे में हैं वह सब सदन के सामने हैं । आपके एजेंडे में कटौती का प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष के समक्ष और सदन के समक्ष वह नहीं था । यह सूची में था जरूर, लेकिन जब तक कि वह रखाया, मूव न किया जाय वह अध्यक्ष के समक्ष नहीं था । वह पुरःस्थापित (मूव) नहीं किया गया । अगर आपको विनियोग पर बोलना है तो बोलें ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

आपके एजेंडे में नत्थी 'ङ' में है । जो चीज आ जायगी वह मानी जायगी कि वह सदन में उपस्थित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस से सहमत नहीं हूं कि जो चीज एजेंडे में आ जायगी वह सब सदन के समक्ष हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा १० वर्ष का अनुभव है कि जब एजेंडे में नत्थी क, ख, ग, घ आ जाती है तो माना जाता है कि वह हाउस में उपस्थित हैं और जब मूल प्रस्ताव खत्म होता है तो चेयर पर जो होंगे अध्यक्ष वह प्रस्तावक का नाम, कटौती के प्रस्ताव पेश करने के लिये आप पुकारेंगे और कटौती के प्रस्ताव को पेश करेंगे । और जब तक कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं कराया जाय मैं नहीं समझ पाया कि कौन-सी स्थिति थी ? कोई प्रश्न उपस्थित किया गया था, कोई गिलोटिन का समय हो गया था आपने उसको पेश न कराकर मूल प्रस्ताव पर वोटिंग करा दी, कार्य-मंत्रणा समिति की बात कही, ठीक है उसका एक निर्णय आया । परन्तु वह निर्णय सदन में भी स्वीकार हुआ या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

हुआ, १३ मई को ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

सदन में यह प्रस्ताव नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह १३ मई को आया कि २३ जून, १९७० को सायंकाल ४ बजे पुरःस्थापन होगा . . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा और उस पर विचार करना . . . . .

(व्यवधान जारी)

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

. . . . . एजेन्डा में जो कार्य था उसको आपने यह कह दिया कि नहीं आ सकता । आप यह देखिये कि हमेशा यह नियम रहा है सदन में . . . . .

(व्यवधान जारी)

[श्री मलिखान सिंह]—

. . . . यह परम्परा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब तक कटौती का प्रस्ताव पेश न हो तब तक मतदान नहीं होगा। यह तानाशाही चल रही है, इसलिये ५ मिनट के लिये मैं और मेरे दल के साथी सदन का त्याग करते हैं। (श्री मलिखान सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना अनुदान पेश किया और ३-३० बजे से पहले उनका मामला चल रहा था, लेकिन जब ३-३० बजे के बाद हमको बोलने का मौका आया तो आपने अनुदान क्लोज कर दिया। तो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उसको क्लोज करने के बाद आपने कटौती के प्रस्तावक को बुलाया था नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव कोई नहीं रखा गया . . . . . .

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सदन में शोर हो रहा था। आपने वोटिंग से पहले कटौती के प्रस्तावक को बुलाया या नहीं, यह स्पष्टीकरण मुझे चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बहस में पड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो गई। जब चर्चा चल रही थी तो मैं खुद सोच रहा था कि ऐसा न हो कि श्रीमन् कोई इस बात का स्मरण न रहे कि कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये माननीय सदस्य को न पुकारें। बड़ी विचित्र बात हो गई। जैसी बात चल रही थी, मेरा खयाल है शायद श्रीमन्, को उस समय विस्मरण हुआ जब श्रीमन् ने आदेश दे दिया कि चार साथियों को बुला लिया जाय। उसके तुरन्त बाद यदि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को बुला लिया जाता तो यह न होता। जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो रुपया मंजूर कर दिया गया है, जो प्रक्रिया हुई वह गलत हुई है। और जब यह प्रक्रिया गलत है तो सब कुछ अवैधानिक हो जाता है और जो एप्रोप्रियेशन बिल हमारे समक्ष है उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा निवेदन है कि विवाद को समाप्त करने के लिये यदि संभव हो तो कटौती के प्रस्तावक को श्रीमन् बुला लें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं विवश हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं लाना चाहता था तो हम बाध्य नहीं कर सकते थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, पिछली कार्यवाही निकाल लें। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कटौती के प्रस्तावक को न बुलाया गया हो।

श्री उपाध्यक्ष—

विरोध पक्ष सर्वसम्मति से यह तय करता है कि कौन कटौती का प्रस्ताव (मूव) पुरः—स्थापित करेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, कटौती के प्रस्तावक को बुलाते हैं। यही नहीं यदि कटौती का प्रस्ताव उपस्थित नहीं भी किया गया था तो क्या कटौती का प्रस्ताव आज की कार्यवृत्ति में था। यदि कटौती का प्रस्ताव था तो इसके पूर्व मांग रखी जाती, कटौती का प्रस्ताव रखा जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों हो सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जब तक दोनों में से एक भी प्रक्रिया का पालन न होगा, तब तक अवैधानिक है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल न रखना चाहे तो आप अध्यक्ष से यह अपेक्षा करते हैं कि वह रखे ?

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, आप सक्षम हैं। यदि नियम में भूल हो गई है तो ३१३ का प्राविधान मौजूद है। यदि कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कटौती के प्रस्तावक को बुला लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको गलती नहीं मानता। विरोध पक्ष खुद नहीं चाहता कि सदन ठीक से चले। मैंने इसके लिये अनुनय विनय भी किया। मजबूर होकर मुझे साढ़े ३बजे तक के लिये सदन को स्थगित करना पड़ा। आज की सूची में जो सदन को तय करना था, मुझे उसे पूरा करना था। नियम है।

(व्यवधान—शोर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं इसके विरोध में २ मिनट को सदन से बाहर जाता हूं।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७०—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७०

३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:— संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ४, १९७०

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७०–७१ के लिये ८,४१,६६,६०,००० रुपयों का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो ३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९७० की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] ८,४१,६६,६०,००० रुपये (आठ अरब इकतालिस करोड़ छियासठ लाख साठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनयोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर ..	३,९६,७००	३,०००	३,९९,७००
२	भू-राजस्व ..	१३,३१,६९,५००	१६,७००	१३,३१,८६,२००
३	राज्य आबकारी ..	५३,४४,३००	२,०००	५३,४६,३००
४	बिक्री-कर ..	१,२७,८७,९००	५,०००	१,२७,९२,९००
५	अन्य कर और शुल्क ..	३३,६०,४००	२,०००	३३,६२,४००
६	स्टाम्प ..	२१,६३,८००	१,०००	२१,६४,८००
७	निबन्धन ..	३६,८०,८००	२००	३६,८१,०००
८	राज्य विधान मण्डल ..	७३,२६,१००	८५,४००	७४,११,५००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
९	निर्वाचन ..	२०,११,१००	..	२०,११,१००
१०	सामान्य प्रशासन ..	३,४३,५३,२००	२०,१३,२००	३,६३,६६,४००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	१२,६३,४०,०००	२०,०००	१२,६३,६०,०००
१२	गांव सभायें और पंचायतें	२,१७,६०,८००	२,०००	२,१७,६२,८००
१३	न्याय प्रशासन ..	३,४३,४८,९००	६६,८०,८००	४,१०,२९,७००
१४	कारागार ..	३,४३,७२,५००	२,०००	३,४३,७४,५००
१५	पुलिस ..	२६,८८,५७,३००	६,०००	२६,८८,६३,३००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	१,५३,२६,२००	७०,०००	१,५३,९६,२००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	४५,२९,५००	३००	४५,२९,८००
१८	शिक्षा ..	७४,९२,८०,२००	२,०००	७४,९२,८२,२००
१९	चिकित्सा ..	१६,५७,८०,६००	११,०००	१६,५७,९१,६००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	१८,४९,९०,३००	१,७००	१८,४९,९२,०००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास ..	१६,४२,८३,१००	९९,०००	१६,४३,८२,१००
२२	उपनिवेशन ..	६४,५००	१००	६४,६००
२३	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	६,७०,०५,६००	३,०००	६,७०,०८,६००
२४	सहकारिता ..	२,३५,३५,७००	२,०००	२,३५,३७,७००
२५	उद्योग ..	१६,६२,०४,६००	७,५००	१६,६२,१२,१००
२६	नियोजन और समन्वय ..	१३,९१,७९,४००	५,०००	१३,९१,८४,४००
२७	श्रम और सेवायोजन	४,५८,२१,४००	८,०००	४,५८,२९,४००
२८	सूचना निदेशालय ..	३८,४३,०००	५००	३८,४३५००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ।	६,७९,६३,२००	१,०००	६,७९,६४,२००
३०	समाज-कल्याण ..	६०,६४,५००	५००	६०,६५,०००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	३१,२६,८२,६००	२,०००	३१,२६,८४,६००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	१२,७५,२३,०००	४,०००	१२,७५,२७,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं	१८,८२,५४,१००	७,८८,२००	१८,९०,४२,३००
३४	संचार-साधनों का सुधार	१,१७,४४,१००	..	१,१७,४४,१००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	५,००,९४,५००	८००	५,००,९५,३००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान ।	२,०९,६३,२००	..	२,०९,६३,२००

१	२	३		
३७	परिवहन ..	३९,६३,३२,४००	३,५५,०००	३९,६६,८७,४००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	९९,९९,१००	१,००,०१,०००	२,००,००,१००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	४,७३,६१,३००	२,२८,८००	४,७५,९०,१००
४०	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	४१,७५,०००	..	४१,७५,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण	२,५८,७०,५००	..	२,५८,७०,५००
४२	धन ..	७,६५,९७,२००	४०,०००	७,६६,३७,२००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	८,५१,६०,१००	७,१००	८,५१,६७,२००
४५	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ।	२,३९,८१,९००	१००	२,३९,८२,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज । ..		४५,५४,७३,४००	४५,५४,७३,४००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार । ..		१,६६,२०,७०,७००	१,६६,२०,७०,७००
४७	कृषि योजनाओं परपूंजी परिव्यय ।	१७,९९,६३,०००	२,०००	१७,९९,६५,०००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ।	१०,३२,९९,६००	२,०५,०००	१०,३५,०४,९००
४९	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं परपूंजी परिव्यय ।	१८,१४,३०,०००	..	१८,१४,३०,०००
५०	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ।	२४,८३,६१,०००	२,०००	२४,८३,६३,०००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ।	२४,७२,३२,८००	३,००,०००	२४,७५,३२,८००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ।	४,१३,७७,५००	१,००,१००	४,१४,७७,६००
५३	पेंशनों का राशि-मूल्य	७,४१,१००	४०,०००	७,८१,१००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें	४१,६७,२८,३००	१००	४१,६७,२८,४००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	९५,३९,७१,१००	..	९५,३९,७१,१००
	योग ..	६,२४,७९,८८,८००	२,१६,८६,७१,२००	८,४१,६६,६०,०००

*भारित विनियोग ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२३ जून, १९७० ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६३ पर)

तालिका

कर्मचारी का नाम	पद	कार्य करने की अवधि
१	२	३
सर्वश्री—		
१—श्याम सुन्दर अवस्थी ..	दैनिक श्रमिक	४–५–५३ से २३–५–५४ तक
	स्टोर कीपर	२४–५–५४ से अब तक
२—घनश्याम सिंह ..	लैब० अटेन्डेन्ट	१४–९–५५ से १६–५–५६ तक
	पैकर	१७–५–५६ से २८–१–५७ तक
	लेजर कीपर	२९–१–५७ से २४–११–६९ तक
	स्टोर कीपर	२५–११–६९ से अब तक
३—सिंहासन त्रिपाठी ..	दैनिक श्रमिक	६–१२–५५ से २८–१–५७ तक
	लेजर कीपर	२९–१–५७ से अब तक
४—अहिरबादीन पाल ..	दैनिक श्रमिक	२४–९–५५ से २३–१–५७ तक
	बीजक लिपिक	२४–१–५७ से अब तक
५—परमानन्द त्रिपाठी ..	बीजक लिपिक	२४–९–६२ से अब तक
६—राजेन्द्र नाथ मिश्र ..	रेलवे लिपिक	२२–९–६५ से अब तक

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७, २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६७ पर)

तालिका (क)

जिला का नाम		भूमि संरक्षण इकाई का नाम
१—देहरादून	१	देहरादून
	२	कालसी
२—टेहरी-गढ़वाल	३	टेहरी
	४	कीर्ति नगर
	५	नरेन्द्र नगर
३—पौड़ी-गढ़वाल	६	पौड़ी
४—नैनीताल	७	नैनीताल
५—अल्मोड़ा	८	अल्मोड़ा
६—उत्तर काशी	९	उत्तर काशी
७—चमोली	१०	चमोली
८—पिथौरागढ़	११	पिथौरागढ़

तालिका (ख)

इकाई का नाम	उपचारित क्षेत्र हैक्टेयर में
१—देहरादून	२,४९८
२—कालसी	१८७
३—टहरी	२७२
४—कीर्तिनगर	१५३
५—नरेन्द्र नगर	१५८
६—पौड़ी	२५०
७—नैनीताल	२७६
८—अल्मोड़ा	३५७
९—उत्तर काशी	२०२
१०—चमोली	४२
११—पिथौरागढ़*	..
कुल योग	४,३९५

*यह इकाई वर्ष १९६९–७० में आखिरी अक्तूबर, १९६९ में स्वीकृत हुई। भूमि संरक्षण अधिकारी ने अपना पद १ मार्च, १९७० को ग्रहण किया था इस कारण केवल क्षेत्र का चयन तथा कार्यालय के स्थापन का कार्य हो सका।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७२ पर)

संलग्नक

जिले का नाम और योजनायें	कृषि वित्त निगम से मांगी गई सुविधा
	रु०
रायबरेली	
(१) महराजगंज तहसील में अल्प सिंचाई सुविधाओं का सुसंबद्ध विकास ।	१४,४०,०००
(२) यांत्रिक कृषि सेवा इकाई (कुल लागत १,००,००० रु०) ..	७५,०००
(३) दुधारू जानवरों के विकास की ईकाई	२०,००,०००
	३५,१५,०००
सुल्तानपुर	
(४) यांत्रिक कृषि सेवा इकाई	२,००,०००
(५) सिंचित सेवा इकाई	१,००,०००
(६) कीटाणु नियन्त्रण सेवा इकाई	५०,०००
(७) शीत भंडार सेवा इकाइयां	३,००,०००
(८) कृषि यंत्रों का उपकरण का उत्पादन, वितरण और क्रय-विक्रय	१,००,०००
	७,५०,०००
बहराइच	
(९) अन्न विधायन उद्योग (मक्का) (कुल लागत ६,९१,००० रु०)	४,१४,६००
(१०) दियासलाई का निर्माण (कुल लागत ४,००,००० रु०) ..	१,५०,०००
(११) शीत भंडार (कुल लागत ३,६०,००० रु०) ..	७५,०००
(१२) दियासलाई का कारखाना (कुल लागत ४,००,००० रु०)	२,५०,०००
(१३) इन्जीनियरिंग वर्कशाप (कुल लागत १,००,००० रु०) ..	७५,०००
(१४) कृषि उपकरण (कुल लागत १,४७,५०० रु०) ..	१,००,०००
(१५) कृषि उपकरण	९२,०८०
	११,५६,७८०

जिले का नाम और योजनाय	कृषि वित्त निगम से मांगी गई सुविधा
फैजाबाद	रु०
(१६) अल्प सिंचाई योजना	२९,५०,०००
(१७) कृषि सेवा इकाइयां	४,००,०००
	३३,५०,०००
बाराबंकी	
(१८) शीत भंडार और बर्फखाने की योजना	३,००,०००
	३,००,०००
वाराणसी	
(१९) हैचरी की स्थापना की योजना	९७,०००
	९७,०००
पूर्ण योग ..	९१,६८,७८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७७ पर)

उक्त ४५२ स्थायी पदों का वर्षवार ब्योरे की तालिका

वर्ष	स०वि०अ० (सह) के रिक्त स्थाई पदों की संख्या	सहकारी निरीक्षकों, वर्ग २ के रिक्त स्थाई पदों की संख्या	योग
१	२	३	४
१९५५	..	१	१
१९५६	३३	३	३६
१९५७	५०	७	५७
१९५८	८	..	८
१९५९	१	..	१
१९६०	..	१	१
१९६१	..	१०	१०
१९६२	१८२	७२	२५४
१९६३	..	२०	२०
१९६४	..	१५	१५
१९६५	..	१	१
१९६६	..	५	५
१९६७	..	१७	१७
१९६८	..	१६	१६
१९६९	..	८	८
१९७०	..	२	२
योग	२७४	१७८	४५२

अदर प्रदेश सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७६ पर)

सूची

१—डा० एच० सी० वर्मा, सिविल सर्जन, रायबरेली को, जिन्हें बुलन्दशहर भेजा जा रहा था, राबयरेली में ही रोक दिया गया है।

२—डा० एम० सी० शर्मा, सिविल सर्जन, शाहजहांपुर को, जिन्हें मुरादाबाद भेजा जा रहा था, अब सिविल सर्जन झांसी के पद पर तैनात किया गया है।

३—डा० जी० बी० एल० श्रीवास्तव, सिविल सर्जन, बहराइच को, जिन्हें एटा भेजा जा रहा था, बहराइच में ही रोक दिया गया है।

४—डा० एम० के० अग्रवाल, सिविल सर्जन, खीरी को, जिन्हें बहराइच भेजा जा रहा था, अब सिविल सर्जन, एटा के पद पर तैनात किया गया है।

५—डा० ओ० पी० गुप्ता, सिविल सर्जन, हरदोई की, जिन्हें रायबरेली भेजा जा रहा था, अब सिविल सर्जन, बदायूं के पद पर तैनात किया गया है।

६—डा० एस० एन० गुप्ता, सिविल सर्जन, देहरादून को, जिन्हें बदायूं भेजा जा रहा था, देहरादून में ही रोक दिया गया है।

७—डा० आर० पी० सिंह, सिविल सर्जन, बलिया को, जिन्हें मुजफ्फरनगर भेजा जा रहा था, सिविल सर्जन, बुलन्दशहर के पद पर तैनात किया गया है।

८—डा० करतार सिंह, सिविल सर्जन, मुजफ्फरनगर को, जिन्हें देहरादून भेजा जा रहा था, मुजफ्फरनगर में ही रोक दिया गया है।

९—डा० जी० डी० अग्रवाल, सिविल सर्जन, बुलन्दशहर को, जिन्हें टेहरी-गढ़वाल भेजा जा रहा था, अब सिविल सर्जन, हरदोई के पद पर तैनात कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९४ क उत्तर पीछे पृष्ठ ११८१ पर)

सूची

मांगें

(१) ग्राम सेवकों के पदोन्नति का मार्ग खोला जाय।

(२) ग्राम सेवकों को विशेष वेतन-क्रम १६०—२८० का दिया जाय।

(३) साइकिल मानदेय १० रुपये प्रतिमाह ही है। इसे बढ़ाया जाय।

(४) ग्राम सेवकों को सामान के रख-रखाव के लिये भंडार सुविधा प्रदान की जाय।

(५) वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ता, अवकाश की स्वीकृति के अनिर्णीत मामलों में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

(६) ग्राम सेवकों के स्थाईकरण के आदेश तुरन्त प्रसारित हों।

(७) स्टेट लाटरी के टिकटों को बिक्री करने को जबरदस्ती दिया जाता है और पैसे उनके वेतन से अग्रिम रूप में काटे जाते हैं। (इसे रोका जाय)।

(८) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्यपूर्ति न होने पर लम्बी-लम्बी सेवाओं से पृथक् किया गया है और वार्षिक अभिलेख गलत अंकित किये गये हैं जिससे जो ग्राम सेवक स्थाई होने जा रहे थे वे स्थायीकरण से वंचित हो रहे हैं। इसका निराकरण किया जाय।

(९) बिना कारण बताये सामूहिक रूप से सेवा से पृथक् करना रोका जाय तथा निलम्बित ग्राम सेवकों के मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

(१०) कृषि विभाग में ग्राम सेवकों का विलोनीकरण न किया जाय।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११६ एल० ए०—१९७१—८४५।